सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यपरिषद् की बैठक

दिनांकः 07-10-2018
समय : 2:00 बजे से
स्थान :योग साधना केन्द्र

उपस्थिति

1- प्रो॰ राजाराम शुक्ल

2. प्रो॰ सदानन्द शुक्ल
3. प्रो॰ हरिप्रसाद अधिकारी
4. प्रो॰ राजनाथ
5. डा॰ विजय कुमार पाण्डेय
6. डा॰ विशाखा शुक्ला
7. डा॰ सूर्यकान्त
8. डा॰ विद्या कुमारी चन्द्रा
9. वित्ताधिकारी
10. कुलसचिव

मंगलाचरण - प्रो॰ हरिप्रसाद अधिकारी

सर्वप्रथम कुलसचिव ने अध्यक्ष सहित समस्त सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए, अध्यक्ष की अनुमति से परिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ की।

कार्यक्रम संख्या-1- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07.12.2017, 23.12.2017, 27.03.2018, 05.06.2018 एवं 27.06.2018 की कार्यवाही की पुष्टि।

विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से परिषद् की बैठक दिनांक 07.12.2017, 23.12.2017, 27.03.2018 05.06.2018 एवं 27.06.2018 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की।

कार्यक्रम संख्या-2- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07.12.2017, 23.12.2017, 27.03.2018, 05.06.2018 एवं 27.06.2018 में लिये गये निर्णयों के क्रियांवयन की सूचना।

कार्यपरिषद् क्रियांवयन रिर्पोट से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-3- विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 22.09.2018 में की गयी संस्तुतियों पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 22.09.2018 में की गयी अधोलिखित संस्तुतियों को प्रस्तुत किया गया-

विद्या परिषद् की बैठक

दिनांक - 22.09.2018
समय अपराह्ण - 2:00 बजे से
स्थान - योग साधना केन्द्र

उपस्थिति

1 - **प्रो. राजाराम शुक्ल,** कुलपति

2- प्रो. सदानन्द शुक्ल	3- प्रो. हेतराम कछवाह
4- प्रो. हरप्रसाद दीक्षित	5- प्रो. जितेन्द्र कुमार
6- प्रो. प्रकाश चन्द्र सक्सेना	7- डा. विजय कुमार पाण्डेय
8- प्रो. शशीरानी मिश्रा	9- डा. दिनेश कुमार गर्ग
10- प्रो. रामपूजन पाण्डेय	11- प्रो. ललित कुमार चौबे
12- प्रो. शम्भूनाथ शुक्ल	13- प्रो. रमेश कुमार द्विवेदी
14- प्रो. रमेश प्रसाद	15- प्रो. हरिशंकर पाण्डेय
16- प्रो. कृष्ण चन्द्र दुबे	17- प्रो. दुर्गा नन्दन प्रसाद तिवारी
18- प्रो. प्रेम नारायण सिंह	19- प्रो. हीरक कान्ति चक्रवर्ती
20- प्रो. गंगाधर पण्डा	21- प्रो. रामकिशोर त्रिपाठी
22- प्रो. आशुतोष मिश्र	23- प्रो. सुधाकर मिश्र
24- प्रो. शैलेष कुमार मिश्र	25- प्रो.राजनाथ
26- प्रो. महेन्द्र पाण्डेय	27- प्रो. कमलाकान्त त्रिपाठी
28- प्रो. राधवेन्द्रजी दुबे	29- डा. विद्या कुमारी चन्द्रा
30- डा. सूर्यकान्त	31- कुलसचिव - सचिव

मंगलाचरण - प्रो. रामकिशोर त्रिपाठी

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए विद्यापरिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या -1- विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 05.06.2018 की कार्यवाही की पुष्टि।

विचार-विमर्श के अनन्तर विद्यापरिषद् ने सर्वसम्मति से विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 05.06.2018 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की।

कार्यक्रम संख्या -2- विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 05.06.2018 में लिये गये निर्णय के क्रियांवयन की सूचना।

कार्यपरिषद् सूचना से अवगत हुई एवं कृत कार्यवाही पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या -3- दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र के अन्तर्गत वी.वोक पाठ्यक्रम में संचालित कम्प्यूटर, अंग्रेजी, संस्कृत, ज्योतिष कर्मकाण्ड, वास्तुशास्त्र एवं आंतरिक सज्जा के पाठ्यक्रम पर विचार।

विद्या परिषद् को अवगता कराया गया कि - दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र के अध्ययन बोर्ड की संस्तुतियों के आधार पर कुलपति महोदय के आदेश से विद्यापरिषद/कार्यपरिषद् की स्वीकृति के प्रत्याशा में यह पाठ्यक्रम कौशल केन्द्र में संचालित है।

दीनदयाल उपाध्याय कौशलकेन्द्र के अंतर्गत वी.वोक. पाठ्यक्रम में संचालित कम्प्यूटर, अंग्रेजी, संस्कृत, ज्योतिष, कर्मकाण्ड, वास्तुशास्त्र एवं आंतरिक सज्जा के पाठ्यक्रम विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विचार विमर्श के पश्चात् विद्या परिषद् ने सर्वसम्मत्ति से दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र के अंतर्गत वी.वोक् पाठ्यक्रम में संचालित कम्प्यूटर अंग्रेजी, संस्कृत, ज्योतिष कर्मकाण्ड वास्तुशास्त्र एवं आंतरिक सज्जा के पाठ्यक्रम पर स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्तुत किया कि पाठ्यक्रम से सम्बन्धित नियमावली को मुद्रित करा लिया जाय।

कार्यक्रम संख्या -4- शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम सत्र 2016-18 एवं 2017-19 को सत्र-शून्य घोषित करने के संबंध में विचार।

विद्या परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में सत्र 2016-18 एवं सत्र2017-19 में प्रवेश नही हुआ है, ऐसी स्थिति में उक्त सत्रों को शून्य घोषित किये बिना वर्तमान प्रवेश सत्र 2018-20 में प्रवेश प्रकिया प्रारम्भ करना सम्भव नही हो पा रहा है।

अतः परिषद् के समक्ष शिक्षाचार्य सत्र 2016-18 एवं सत्र 2017-19 को शून्य घोषित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है-

विचार-विमर्श के अनन्तर विद्यापरिषद् ने शिक्षाचार्य सत्र 2016-18 एवं सत्र 2017-19 को शून्य घोषित करते हुए वर्तमान सत्र 2018-20 की प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या -5- आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 07.08.2018 की संस्तुतियों पर विचार।

विद्यापरिषद् के समक्ष आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 07.08.2018 की अधोलिखित संस्तुतियों को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक का दिनांक : 07.08.2018 — समय : अपराह्न 01.00 बजे
बैठक का स्थान : आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकायाध्यक्ष कार्यालय, विज्ञान भवन।

सदस्यों की उपस्थिति

आज आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय बोर्ड की बैठक में सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार रही –

1.	प्रो0 जितेन्द्र कुमार, संकायाध्यक्ष, आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय	अध्यक्ष --	07.8.2018
2.	प्रो0 कृष्ण चन्द्र दुबे, विभागाध्यक्ष, आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग	सदस्य –	07/8/2018
3.	प्रो0 प्रेम नारायण सिंह, विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग	सदस्य –	07/08/18
4.	प्रो0 [illegible] नन्दन तिवारी, विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान विभाग	सदस्य --	7/8/18
5.	प्रो0 विधु द्विवेदी, विभागाध्यक्ष, विज्ञान विभाग	सदस्य --	
6.	प्रो0 हीरककान्ति चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विभाग	सदस्य --	07/08/2018
7.	डा0 शैलेश कुमार मिश्र, आचार्य, सामाजिक विज्ञान विभाग	सदस्य –	
8.	प्रो0 राजनाथ, आचार्य, सामाजिक विज्ञान विभाग	सदस्य –	7.8.18
9.	[illegible]	सदस्य	रिक्त
10	[illegible]	सदस्य –	रिक्त
11.	प्रो0 [illegible] चन्द्र शुक्ल, सेवा निवृत्त आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, स0स0वि0वि0, वाराणसी	सदस्य –	
12	प्रो0 एस0 एन0 चतुर्वेदी, अर्थशास्त्र विभाग, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी	सदस्य --	7.8.18
13	प्रो0 जितेन्द्र नाथ मिश्र, [illegible]	सदस्य --	जितेन्द्र नाथ मिश्र

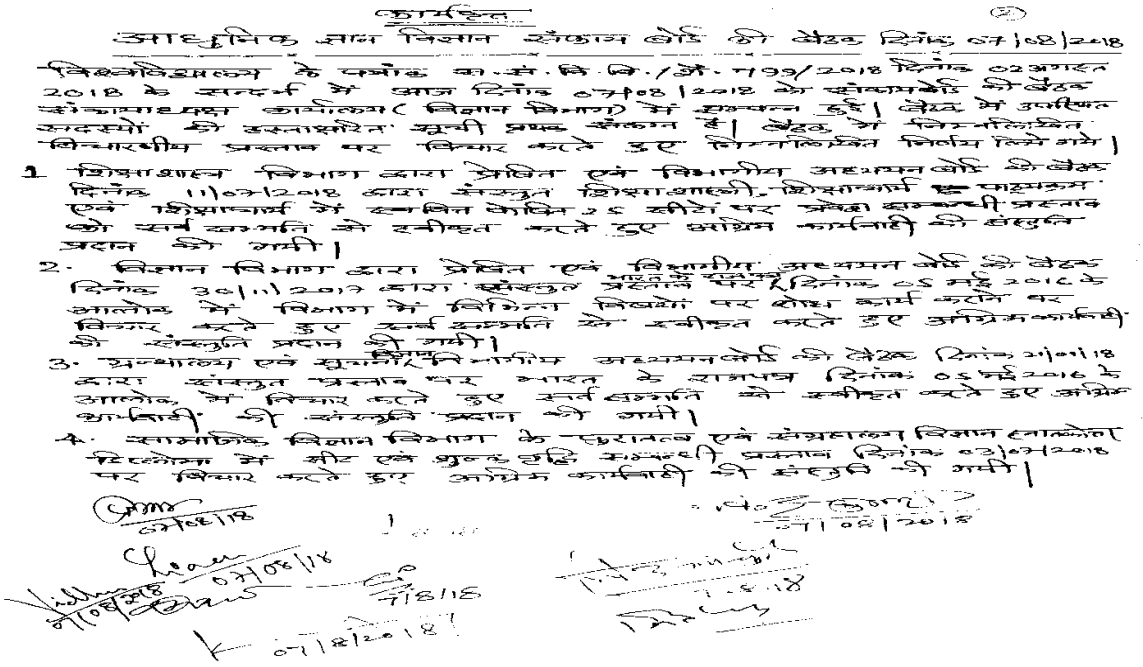

1- विद्यापरिषद् ने आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय बोर्ड की उपर्युक्त संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में विभाग वार विचार विमर्श किया।

(i) शिक्षाशास्त्र विभागीय अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 11.07.2018 द्वारा संस्तुत शिक्षाचार्य (एम.एड.) नियमित वित्त पोषित तथा स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित अधोलिखित प्रस्ताव-

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की अधिसूचना 2014 द्वारा प्रत्येक यूनिट.50 की अनुमन्य है। विश्वविद्यालय में पूर्व से शिक्षाचार्य (एम0एड0) के लिए 25 सीटों पर ही नियमित रूप से प्रवेश होता रहा है। सत्र 2015–2017 में भी 25 सीटों पर ही प्रवेश हुआ तथा उसके बाद 2016–18 तथा 2017–19 में प्रवेश ही नहीं हुआ, जिसमें प्रमुख कारण अध्यापकों के भारी कमी रही। पुनः विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन कराये जाने के परिणाम स्वरूप शीघ्र अध्यापकों की नियुक्ति की सम्भावनायें बढ़ी है। अतः शिक्षाचार्य में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने का अनुरोध कुलगति महोदय को पूर्व में प्रेषित किया गया है।

शिक्षाचार्य में अनुमन्य 50 सीटों के सापेक्ष पूर्व मे 25 सीटो पर ही नियमित रूप से प्रवेश हुआ। वर्तमान सत्र एवं भविष्य में भी शेष 25 सीटों पर स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत प्रवेश लिये जाने का प्रस्ताव अग्रिम अनुमोदन/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

प्रस्तावित प्रस्ताव

शिक्षाचार्य– कुल सीटें – 50 (एक यूनिट)
नियमित (वित्तपोषित) प्रवेश –25 सीट
शेष स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रवेश –25 सीट

शुल्क–
वित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रवेश के लिए अलग से संलग्न विवरण के अनुसार । (रु0 9,400.00) रु0 नौ हजार चार सौ मात्र शुल्क होगा।

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत शुल्क विवरण–

प्रथम वर्ष – रु0 45,000.00 प्रति छात्र (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर हेतु)
– प्रथम सेमेस्टर में परीक्षा शुल्क– शून्य
– द्वितीय सेमेस्टर में परीक्षा शुल्क– रु0 1500.00

द्वितीय वर्ष – रु0 35,000.00 प्रति छात्र (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर हेतु)
– तृतीय सेमेस्टर में परीक्षा शुल्क– शून्य
– चतुर्थ सेमेस्टर में परीक्षा शुल्क– रु0 1500.00

व्यय योजना

- स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत प्राप्त शुल्क का 65 प्रतिशत वेतन एवं विशिष्ट व्याख्यान आदि के आयोजन पर व्यय होगा।
- 15 प्रतिशत विभागीय विकास; यथा पुस्तकें, पत्र–पत्रिकाएं, शैक्षिक तकनीकी एवं अन्य उपकरण/सामग्री तथा अनुरक्षण पर व्यय किया जायेगा।
- 20 प्रतिशत विश्वविद्यालय अपने पास सुरक्षित रख सकेगा।
- 65%+15%=80% व्यय विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव/संस्तुति पर कुलपति की स्वीकृति से किया जायेगा।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 28 नवम्बर 2014 द्वारा शिक्षा में स्नातक (बी0एड0) कार्यक्रम के लिए मानदण्ड और मानक के बिन्दु 05 (i) तथा एम0एड0 के लिये निर्धारित मानदण्ड एवं मानक के बिन्दु 06 (i) के अनुसार – एक इकाई (यूनिट) बी0एड0 एवं एम0एड0 के लिए– निम्नलिखित विवरण के अनुसार अध्यापक चाहिए।

बी0एड0

1. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष —01
2. शिक्षा के परिप्रेक्ष्य —02
3. शिक्षण विषय (भाषा तथा सामाजिक विज्ञान) —04

07 (ये पद पूर्व स्वीकृत है)

4. स्वास्थ्य तथा शारिरीक शिक्षा —01
5. ललित कलाएं —01
6. निष्पादन कलाएं —01

(इनकी व्यवस्था करनी होगी अथवा विश्वविद्यालय के अन्य विभागों में कार्यरत लोगों की सेवायें ली जा सकती है।)

कुल योग– 10

एम0एड0

1. प्रोफेसर —02
2. सह प्रोफेसर —02

इनमें एक –एक पद पूर्व स्वीकृत है जो बी0एड0/एम0एड के लिए कामन हो सकते है

3. सहायक प्रोफेसर — 06 — (इनकी व्यवस्था करनी होगी)

कुल योग– 10

उल्लेखनीय है कि शिक्षाशास्त्र विभाग में पूर्व से एक आचार्य (प्रोफेसर), एक सह आचार्य (एसोशिएट प्रोफेसर) तथा 07 सहायक आचार्य के पद स्वीकृत है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकानुसार एक इकाई बी0एड0 तथा एक इकाई एम0एड0 के लिए उपरोक्त विवरण को ध्यान में रखते हुये बी0एड0 के क्रमांक 4,5,6 हेतु एक –एक अध्यापक (कुल–03) तथा बी0एड0 एम0एड0 संचालित करने हेतु न्यूनतम 06 सहायक प्रोफेसर की व्यवस्था करनी होगी। भवन एवं अन्य अवस्थापना सम्बन्धी सुविधायें भी मानक के अनुसार न होने की स्थिति में उसकी भी व्यवस्था करना आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश सरकार/शासन द्वारा उक्त पद स्वीकृत होने तथा अतिरिक्त स्वीकृत पदों पर नियुक्ति होने तक संविदा अध्यापकों से कार्य लिये जाने की संस्तुति की गई। संविदा अध्यापकों को मानदेय देने हेतु एम0एड0 में 25 सीटों पर स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत प्रवेश लिये जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

समिति ने सर्वसम्मति से एम0एड0 की 25 सीटों पर स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत प्रवेश लिये जाने की सहमति प्रदान किया, साथ ही मानक के अनुसार अध्यापक, उपकरण एवं भवन की व्यवस्था सम्बन्धी अग्रिम आवश्यक कार्यवाही/व्यवस्था हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की संस्तुति प्रदान की।

हस्ताक्षर–सदस्यगण

1– प्रो0 प्रेम नारायण सिंह
अध्यक्ष,शिक्षाशास्त्र विभाग,
सं0सं0वि0वि0,वाराणसी।

2– प्रो0 गोपाल प्रसाद नायक
डीन, शिक्षा संकाय, म0गाँ0काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

3– डॉ0 श्री राम तिवारी
सच्चा अध्यात्म, स0म0वि0, अरैल नैनी,
इलाहाबाद

4– डॉ0 विशाखा शुक्ला
शिक्षाशास्त्र विभाग, सं0सं0वि0वि0,
वाराणसी।

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत नियमित छात्रों का शुल्क विवरण

सत्र –2018–19 / 2019–20

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शिक्षाचार्य(एम.एड.)	शिक्षाशास्त्री(बी.एड.)
1	2	3	4
1	नामांकन शुल्क प्रथम बार	100.00	100.00
2	प्रवेश शुल्क	500.00	500.00
3	शिक्षण शुल्क	2160.00	1440.00
4	परिचय पत्र शुल्क	50.00	50.00
5	लब्धांक शुल्क	50.00	50.00
6	पत्रिका शुल्क	--	30.00
7	परीक्षा शुल्क	1500.00	1200.00
8	संगणक शुल्क	10.00	10.00
9	क्रीडा शुल्क	10.00	10.00
10	छात्र संघ शुल्क	10.00	10.00
11	चिकित्सा शुल्क	10.00	10.00
12	विभागीय विकास शुल्क	2500.00	1000.00
13	पाठ्य सहगामी क्रियायें	1000.00	1000.00
14	शैक्षणिक कार्यक्रम शुल्क	--	1000.00
15	प्रोजेक्ट सेमिनार कार्यशाला	1500.00	---
	सम्पूर्ण योग रू0	**9400**	**6310**

– उपरोक्त शुल्क शिक्षाचार्य के लिए सत्र 2018–20 तथा शिक्षाशास्त्री के लिए 2019–20 से लागू होगा। यह शुल्क वार्षिक होगा।

– नामांकन के अतिरिक्त शेष शुल्क द्वितीय वर्ष में देय होगा।

11/07/18 11/07/18 11/7/18 11/07/18

पर गहनता पूर्वक विचार विमर्श करते हुए विद्या परिषद् ने सर्व सम्मत्ति से (एम.एड.) शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित 25 सीटों के साथ-साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत 25 अतिरिक्त सीटों की वृद्धि करने पर अपनी सैद्धान्ति स्वीकृति प्रदान की। साथ ही परिषद् ने यह भी संस्तुत किया कि स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत नियुक्त अध्यापकों को वही मानदेय प्रदान किया जाय जो विश्वविद्यालय के अन्य अतिथि व्याख्याताओं को प्रदान किया जाता है।

(ii) शिक्षाचार्य (एम.एड.) पाठ्यक्रम एवं शिक्षाशास्त्र (बी.एड.) पाठ्यक्रम सम्बन्धी निर्देशिका एवं पाठ्यक्रम प्रारूप पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

(iii) विश्वविद्यालय में अध्ययनरत नियमित शिक्षाचार्य (एम.एड.) एवं शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) पाठ्यक्रम के शुल्क सम्बन्धी प्रस्ताव पर अपनी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की।

2. विज्ञान विभागीय अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 30.11.2017 में की गयी संस्तुतियों पर विद्यापरिषद् ने अपनी असहमति प्रदान की।

3- ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान विभागीय अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 21.01.2018 में की गयी संस्तुतियों पर विद्यापरिषद् ने अपनी असहमति प्रदान की।

4- सामाजिक विज्ञान विभाग के पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा में सीट एवं शुल्क वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव दिनांक 03.07.2018 पर विद्यापरिषद् ने अपनी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या -6- श्रमण विद्या संकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 21.08.2018 की संस्तुतियों पर विचार।

विद्यापरिषद् को अवगत कराया गया कि श्रमण विद्या संकाय बो्र्ड की बैठक दिनांक 21.08.2018 में यह संस्तुत किया गया है कि- ''जिस छात्र ने इण्डटरमीडिएट परीक्षा पालि विषय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है उसे **शास्त्री प्रथम खण्ड पालि एवं थेरवाद विभाग में 'क' वर्ग पालि विषय** में प्रवेश लेने हेतु अनुमति प्रदान की जाय।''

विद्यापरिषद् ने संकाय बोर्ड की उपर्युक्त संस्तुतियों पर विचार-विमर्श करते हुए निर्णय लिया कि - **''जिस छात्र ने इण्टरमीडिएट परीक्षा पालि अथवा संस्कृत विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है, उसे शास्त्री प्रथम खण्ड पालि एवं थेरवाद विभाग में 'क' वर्ग पालि विषय में प्रवेश के लिए अर्ह माना जायेगा।''**

कार्यक्रम संख्या -7- विद्यावारिधि (पी.एच.डी.) अध्यादेश-2016 पर विचार।

विद्यापरिषद् के समक्ष विद्यावारिधि (पी.एच.डी.) उपाधि अध्यादेश-2016 विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए परिषद् को अवगत कराया गया कि उक्त अध्यादेश मा. कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 26.10.2016 के द्वारा विद्यापरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृत है,और वर्तमान में प्रभावी है।

विद्यावारिधि (पी.एच.डी.) उपाधि अध्यादेश 2016 पर विचार के क्रम में कई माननीय सदस्यों ने पात्रता परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था पर आपत्ति व्यक्त करते हुए मांग की कि -

अध्यादेश में की गयी समस्त व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ही होना चाहिए, साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उक्त अध्यादेश निर्माण होने के पश्चात् कई और संशोधन किये गये है उसे भी शोध अध्यादेश में समावेशित किया जाये।

विचार के क्रम में कई सदस्यों ने आपत्ति की कि आयुर्वेद संकाय का कोर्स वर्क विश्वविद्यालय के साथ नही कराया जाता है, उसे भी विश्वविद्यालय के साथ ही कराया जाय।

अंत में सम्पूर्ण प्रकरण पर विचार करने के पश्चात् विद्यापरिषद् ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि शोध अध्यादेश-2016 की समीक्षा कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में अद्यतन संशोधित करने हेतु एक समिति गठित की जाय। साथ ही परिषद् ने समिति गठित करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

कार्यक्रम संख्या -8- आयुर्वेद संकाय के अन्तर्गत शोधार्थियों को शोध-प्रबन्ध संस्कृत भाषा के साथ-साथ हिन्दी अथवा अंग्रेजी अनुवाद में भी प्रस्तुत करने पर विचार।

आयुर्वेद संकाय के उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श के पश्चात् विद्यापरिषद् ने निर्णय लिया कि आयुर्वेद संकाय के शोधार्थियों का शोध प्रबन्ध संस्कृत भाषा में ही होगा। यदि शोधार्थी चाहें तो वे इसके साथ-साथ शोध प्रबन्ध का हिन्दी अथवा अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत कर सकता है।

कार्यक्रम संख्या -9- विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रमाण पत्रीय, डिप्लोमा एवं एडवांस डिप्लोमा (पंचाङ्ग निर्माण, ज्योतिष एवं कर्मकाण्ड) कार्यक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के द्वारा सामुदायिक महाविद्यालय की मान्यता हेतु विश्वविद्यालयीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदत्त करने के संबंध में विचार।

उपर्युक्त प्रकरण पर विचार करते हुए विद्यापरिषद् ने कहा कि सर्वप्रथम उक्त प्रकरण के संदर्भ में यह विचारणीय है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रमाण पत्रीय डिप्लोमा एवं एडवांस डिप्लोमा (पंचाङ्ग निर्माण, ज्योतिष एवं कर्मकाण्ड) कार्यक्रम संचालित करने के लिए अनापत्ति प्रदत्त करने से पूर्व इस बात पर विचार होना आवश्यक है कि जो पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में संचालित नही है वह पाठ्यक्रम सम्बद्ध संस्थाओं में संचालित होगा अथवा नही तथा पाठ्यक्रम का संचालन एवं परीक्षा किस रूप में ली जायेंगी। **अतः उपरोक्त को दृष्टि में रखते हुए समग्र विचार करने हेतु एक समिति गठित की जाए।**

अंत में विचार-विमर्श के पश्चात् परिषद् ने सर्व सम्मति से समिति गठित करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

*अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार

1- विद्या परिषद् एवं कार्यपरिषद् द्वारा स्वीकृत आचार्य षण्मासिकी परीक्षा प्रणाली (Semester System) सम्बन्धी नियमावली पर विचार।

विद्या परिषद् के समक्ष आचार्य षण्मासिकी परीक्षा प्रणाली (Semester System) सम्बन्धी नियमावली बनाने हेतु गठित समिति के द्वारा निर्मित अधोलिखित निदर्शिका प्रस्तुत की गयी।

आचार्य–निदर्शिका
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः,वाराणसी
आचार्य–षण्मासिकी (छःमाही) परीक्षा प्रणाली
Acharya (Semester System)

(सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के विद्यापरिषद दिनांक 05/06/2018 एवं कार्यपरिषद दिनांक 05/06/2018 द्वारा स्वीकृत षण्मासिकी–आचार्य–पाठ्यकम के कम में विश्वविद्यालय परिसर तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में पूर्व प्रचलित द्विवर्षीय आचार्य (वार्षिक परीक्षा–प्रणाली) के स्थान पर सत्र 2018–19 से चार षडमासिकी (छःमाही) परीक्षा प्रणाली (Semester System) अधोलिखित नियमानुसार प्रवृत होगा तथा निदर्शिका (भाग–4: खण्ड 3 एवं खण्ड 4) के आचार्य नियमावली में तदनुसार संशोधित माना जाएगा)

प्रवेशनियमः

प्रवेश–अर्हता एवं विषय–चयन–नियम :

1. **आचार्यपरीक्षायां वक्ष्यमाणपरीक्षासूत्तीर्णाः अन्वेतुमर्हन्ति।**

अ. शास्त्रिपरीक्षा–सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य।
आ. शास्त्रिपरीक्षा–काशीहिन्दूविश्वविद्यालयस्य।
इ. शास्त्रिपरीक्षा–लक्ष्मणपुरीयविश्वविद्यालयस्य।
ई. शास्त्रिपरीक्षा–(नवीनपाठ्यक्रमेण) विहारसंस्कृतसमितेः कामेश्वरसिंहदरभंगासंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वा।
उ. वी.ए. परीक्षा (संस्कृतेन सह) विधिसम्मतविश्वविद्यालयान्तरणाम्।
ऊ. वेदालंकारपरीक्षा–हरिद्वारगुरूकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य।
ए. विद्यालङ्कारपरीक्षा–हरिद्वारगुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य।
ऐ. आयुर्वेदाचार्यपरीक्षा– सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य।

2. आचार्यपरीक्षायां त एव अन्वेतुमर्हन्ति यैः त्रिवर्षीयपाठ्यक्रमेण अर्हतापरीक्षा उत्तीर्णा द्विवर्षीयपाठ्यक्रमपरीक्षोत्तीर्णतानन्तरं सेतुपाठ्यक्रमपरीक्षा वोत्तीर्णाः। शास्त्रिपरीक्षायां गृहीतः कवर्गीयो विषय आचार्यपरीक्षाया विषयो भविष्यति। किन्तु–

क– कमपि कवर्गीयं विषयं गृहत्वोत्तीर्णशास्त्रिपरीक्षः, उत्तीर्णाधुनिकशास्त्रिपरीक्षः विधिसम्मतविश्वविद्यालयान्तराणां संस्कृतेन सह उत्तीर्ण बी.ए. परीक्षः, उत्तीर्ण–तत्समकक्षपरीक्षो वा प्राचीनव्याकरणवेदनव्यव्याकरणनव्यन्यायज्यौतिषातिरिक्तं कमपि विषयं गृहीत्वा आचार्य–परीक्षायां प्रवेशमर्हति।
ख– वेदालंकारपरीक्षामुत्तीर्य केवलं वेदनैरुक्तप्रक्रियायाः साहित्यस्य वा आचार्यपरीक्षायां प्रवेशमर्हति।
ग– विद्यालंकारपरीक्षामुत्तीर्य साहित्यस्य दर्शनस्य वा आचार्यपरीक्षायां प्रवेशमर्हति।
घ– प्राचीनन्यायवैशेषिकविषये समुत्तीर्णशास्त्रिपरीक्षः नव्यन्यायाचार्य परीक्षायामपि अन्वेन्तुमर्हति।
ङ– उत्तीर्णपौरोहित्यशास्त्रिपरीक्षः, कर्मकाण्डशास्त्रिपरीक्षः (का.हि.वि.वि.) शुक्लयजुर्वेदाचार्यपरीक्षायामपि अन्वेतुमर्हति।
च– एकस्मिन्विषये समुत्तीर्णाचार्यपरीक्षः वेदनव्यव्याकरणनव्यन्यायज्यौतिषेतरविषयेष्वाचार्यपरीक्षायामन्वेतुमर्हति।
छ– वेदनैरुक्तप्रक्रियां विहाय कस्मिन्नपि वेदविषये एकस्मिन् आचार्यपरीक्षोत्तीर्णो वेदान्तरस्याचार्यपरीक्षायामन्वेतुमर्हति।
ज– अस्य विश्वविद्यालयस्य आयुर्वेदाचार्यपरीक्षोत्तीर्णः साहित्य–पुराणेतिहाससांख्ययोगविषयेषु कमपि एकं विषयं गृहीत्वा आचार्य–परीक्षायां प्रवेशमर्हति।
झ– दर्शनं पालिविषयं वा गृहीत्वा एम.ए. परीक्षोत्तीर्णः बौद्धदर्शनाचार्यस्य प्रथमखण्डेऽन्वेतुमर्हति, किन्तु यदि तेन भारतीय–दर्शनानाम् एको वर्गोऽधिगतः स्यात्, विश्वविद्यालयस्योत्तरमध्यमापरीक्षां तत्समकक्षसंस्कृतपरीक्षां वोत्तीर्णो भवेत्।
ञ– स्थविरवादे, ख–वर्गे पालिभाषायां वा समुत्तीर्णश्शास्त्रिपरीक्षः, पालिभाषायां समुत्तीर्ण एम.ए. परीक्षो वा पालिविषयस्याचार्यपरीक्षायामन्वेतुमर्हति।
ट– जैनागमे ख–वर्गे प्राकृतभाषायां वा समुत्तीर्णश्शास्त्रिपरीक्षः प्राकृतविषयस्याचार्यपरीक्षायामन्वेतुमर्हति।
ठ– दर्शनविषये संस्कृते वा एम.ए. परीक्षोत्तीर्णः तुलनात्मकदर्शनाचार्यपरीक्षायामन्वेतुमर्हति।

3. **इयं परीक्षा वक्ष्यमाणेषु विषयेषु भविष्यति–**

ऋग्वेदः, शुक्लयजुर्वेदः, कृष्णयजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः, वेदनैरुक्तप्रक्रिया, प्राचीनव्याकरणम्, नव्यव्याकरणम्, साहित्यम्, प्राचीनन्यायवैशेषिकम्, नव्यन्याय:, सांख्ययोगः, पूर्वमीमांसा, मध्ववेदान्तः, बल्लभवेदान्तः, शांकरवेदान्तः, निम्बार्कवेदान्तः, रामानन्दवेदान्तः, रामानुजवेदान्तः, गौडीयवेदान्तः, शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्तः, दर्शनम्, जैनदर्शनम्, बौद्धदर्शनम्, तुलनात्मकदर्शनम्, पालि, आगमः, योगतन्त्रम्, धर्मशास्त्रम्, पौरोहित्यम्, पुराणेतिहासः, गणितम्, सिद्धान्तज्यौतिषम्, फलितज्यौतिषम्, प्राकृत एवं जैनागमः, प्राचीनराजशास्त्रार्थशास्त्रम्, संस्कृतविद्या, भाषाविज्ञानम्, तुलनात्मकधर्मः

4. आचार्यपरीक्षायाः प्रथमषण्मासिके यो यं विषयमवलम्ब्योत्तीर्णः स तस्मिन्नेव विषये अन्य सर्वेषु षण्मासिकेषु परीक्षायामन्वेतुमर्हति।

5. **उत्तीर्णांकाः–** सामान्यमानकानुसारेण इयं परीक्षा द्वयोः वर्षयोः (चतुर्षु षण्मासिकेषु) पूर्णा भविष्यति। अस्यां परीक्षायां निर्धारितेषु विषयेषु एको विषयो ग्राह्यो भविष्यति। प्रथमषण्मासिक्याः तृतीयषण्मासिकीपर्यन्तं प्रत्येकं चत्वारि प्रश्नपत्राणि तथा चतुर्थषण्मासिकै पंचप्रश्नपत्राणि भविष्यन्ति एकैकस्य प्रश्नपत्रस्य शतं(100) पूर्णांकाः भविष्यन्ति। प्रत्येकं षण्मासिक्यां समष्टौ प्रतिशतं(48) अष्टचत्वारिंशद् अंकानां लाभः उत्तरणप्रयोजको भविष्यति।

6. **मौखिकपरीक्षाः–**चतुर्थषण्मासिक्यां पंचमप्रश्नपत्रस्य स्वशास्त्रीयव्युत्पत्ति–विषयक–वाक्परीक्षा भविष्यति।

7. **श्रेणीनिर्धारणम्–** (क) आचार्यपरीक्षायां प्रतिषण्मासिकं श्रेणीविभागो न भविष्यति, अपि तु सम्पूर्णषण्मासिकीषु उत्तीर्णेषु सम्पूर्णषण्मासिकानां प्राप्तांकानां योगेन निम्ननिर्दिष्टरीत्या श्रेणीविभागो भविष्यति।

(ख) सम्पूर्णषण्मासिकानां प्राप्तांकानां योगे प्रतिशतं षष्टिः(60) तदधिकान् वा अंकान् लब्धवन्तः प्रथमश्रेण्यां निवेशं लप्स्यन्ते।
(ग) सम्पूर्णषण्मासिकानां प्राप्तांकानां योगे प्रतिशतम् अष्टचत्वारिंशद्(48) अंकादारभ्यषष्टितो न्यूनान् अंकान् लब्धवन्तः द्वितीयश्रेण्यां निवेशं लप्स्यन्ते।

(घ) आचार्यपरीक्षायां तृतीयश्रेणी न भविष्यति।

प्रवेश का निरस्तीकरण :–

1. प्रवेशावेदनपत्र के अपूर्ण होने, अर्हता संदिग्ध होने एवं आवश्यक सूचना प्रविष्ट न होने तथा अपेक्षित सभी प्रमाणपत्रों के संलग्न न होने की स्थिति में प्रवेशावेदनपत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। जिसकी सूचना देना आवश्यक नही होगा।
2. जो छात्र प्रथम बार प्रविष्ट होंगे उन्हें प्रवेशावेदनपत्र के साथ त्याग प्रमाणपत्र/निष्क्रमण प्रमाण पत्र (माइग्रेशान) को मूल रूप में जमा करना अत्यन्त आवश्यक होगा।
3. प्रवेश होने के बाद कभी भी प्रवेशावेदनपत्र के साथ संलग्न प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रतिलिपियों में आवश्यकता या सन्देह की स्थिति में कभी भी मूल प्रमाण पत्र मांगा जा सकेगाा मूल प्रमाण–पत्र या प्रमाणित प्रतिलिपि में किसी प्रकार की जालसाजी ज्ञात होने पर आनुशासनिक कार्यवाही के साथ घोषित प्रवेश एवं परीक्षाफल निरस्त किया जा सकेगा।
4. यदि कोई छात्र इस विश्वविद्यालय में प्रविष्ट होकर अन्य किसी संस्था में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन करता हुआ या जिन विषयो के अध्ययन के लिए निष्क्रमण प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं होती, ऐसे विषयों में बिना विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त किये अन्य किसी संस्था में अध्ययन करता हुआ अथवा व्यक्तिगत छात्र के रूप में किसी अन्य संस्था की परीक्षा में प्रविष्ट होता हुआ प्रमाणित सिद्ध होगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और उसके विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
6. बिना लिखित सूचना एवं उचित कारण के लगातार एक माह अनुपस्थित रहने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त समझा जायेगा।
7. आचार्य के अध्ययन काल में प्रवेशार्थी कोई भी पूर्णकालिक या अंशाकालिक कार्य जिसमें वेतन मिलने की सुविधा हो, स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार की सूचना मिलते ही किसी भी प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
8. प्रवेशार्थी का प्रवेश अस्थायी (Provisional) होगा। अध्ययन/परीक्षा पूर्णता के अनन्तर यदि उसके द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य गोपन करके अथवा असत्य सूचना पर प्रवेश लिया गया है तो उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

स्थान निर्धारण एवं आरक्षण :–

1. विश्वविद्यालय की आचार्य कक्षाओं में उत्तर प्रश के 80 प्रतिशत छात्र तथा अन्य बाहरी के 20 प्रतिशत बाहरी छात्र प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। एतदर्थ आवासीय प्रमाण–पत्र अपेक्षित होगा। स्थान रिक्त रहने की दशा में इस नियम को शिथिल किया जा सकेगा।
2. आचार्य कक्षाओं के प्रत्येक खण्ड के प्रत्येक "क" वर्गीय विषय में 60 छात्र ही प्रविष्ट हो सकेंगें। यह शासनादेश के अनुसार घट–बढ़ सकता है।
3. आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश का पूर्णतः पालन होगा। किन्तु एतदर्थ प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेशावेदनपत्र के साथ ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

परीक्षा–संचालन–नियम

यह पाठ्यक्रम दो वर्ष का होगा जिसमें चार सेमेस्टर होंगे।

1. प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा उस सेमेस्टर के अन्त मे ली जायेगी। प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये निम्नलिखित शर्तें अनविार्य हैं–

(क) कक्षादि व्याख्यानों में जिसने 75 प्रतिशत उपस्थिति अर्जित की हो।
(ख) समय से निर्धारित शुल्क का भुगतान किया हो।
(ग) उसका आचरण एवं व्यवहार उत्तम हो।
(घ) प्रत्येक सेमेस्टर के लिए निर्धारित अर्हता पूर्ण करता हो एवं पूर्व की सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण हो, वह आचार्य उपाधि निमित्त सेमेस्टर विशेष की परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है।
(ड) यदि छात्र द्वारा सेमेस्टर परीक्षा में परीक्षावेदनपत्र भरा गया हो तथा छात्र पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से अनुपस्थित हो अथवा अनुत्तीर्ण हो एवं किसी भी कारण से दण्डित न हुआ हो वह अगले सेमेस्टर में इस शर्त के साथ प्रोन्नत होगा कि उसे अधिकतम चार वर्षों में आचार्य पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

2. आचार्य षण्मासिकि–प्रणाली हेतु सभी वर्णित नियमों में समय–समय पर विश्वविद्यालय के सक्षम निकायों द्वारा परिवर्तित/परिवर्धित नियम लागू होगें।
3. विद्यार्थी संस्कृत भाषा के माध्यम से ही परीक्षा दे सकेंगे।
4. आचार्य पाठ्यक्रम दो वर्ष अर्थात् चार सेमेस्टर का है किन्तु एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर/एक वर्ष से दूसरे वर्ष के मध्य दो वर्ष से अधिक का अन्तराल अनुमन्य नहीं है। इसके साथ ही यह विशेष उल्लेखनीय है कि पाठ्यक्रम चार वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य होगा परन्तु नियमित छात्रों के रूप में प्राप्त होने वाली सुविधाएं प्रथम दो वर्षों में ही प्राप्त होंगी। निष्कासित, दण्डित, अनुशासनहीन छात्र प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे।
5. एक विषय में आचार्य परीक्षोत्तीर्ण छात्र पुनः विषयान्तर में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे।

अन्य आवश्यक निर्देशः–

1. आचार्य प्रथम खण्ड परीक्षा हेतु यदि प्रवेशार्थी की अर्हता–परीक्षा बी0ए0 है तो सामान्य एवं पिछड़ा संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत–विषय में न्यूनतम 45% अंक होना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत–विषय में न्यूनतम 40% अंक होना अनिवार्य है।
2. आचार्य कक्षा में छात्र जिस महाविद्यालय में प्रवेश लेगा, उसे उसी महाविद्यालय से सम्पूर्ण षण्मासिक परीक्षा/अध्ययन को पूर्ण करना अनिवार्य है।
3. प्रवेशावेदनपत्र के साथ स्थाई निवास–प्रमाणपत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. विदेशी प्रवेशार्थियों को मुद्रित प्रवेशावेदन पत्र के साथ, भारतवर्ष–प्रवेश–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
5. आचार्य कक्षा में प्रवेशार्थ विषयों के चयन एवं एतदर्थ योग्यता–निर्धारण के विवरण हेतु **उक्त नियमों को सावधानी पूर्वक पढें**। किसी भी प्रकार की शंका होने पर प्रवेशार्थी, विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों/सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों से सम्पर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

व्यक्तिगत (स्वतन्त्र) छात्र :–

1. संस्थागत छात्रों के प्रवेश–अर्हता नियमों की योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थी व्यक्तिगत (स्वतन्त्र) छात्र के रूप में इस परीक्षा मे नियमानुसार परीक्षावेदन पूरित कर परीक्षा में प्रविष्ट हो सकते हैं।
2. विश्वविद्यालय परिसर में साहित्य तथा व्याकरण विषयों को छोडकर अन्य मान्य विषयों में व्यक्तिगत (स्वतन्त्र) छात्र के परीक्षार्थियों के परीक्षावेदनपत्र अनुमन्य हो सकेगें।

3. सम्बद्ध महाविद्यालयों में जिनकी मान्यता आचार्य स्तर की जिन विषयों में स्वीकृत है, वे उन्ही विषयों में विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार व्यक्तिगत (स्वतन्त्र) परीक्षार्थियों के परीक्षावेदनपत्र अग्रसारित कर सकेंगें।
4. व्यक्तिगत (स्वतन्त्र) परीक्षार्थियों हेतु उत्तीर्णता तथा श्रेणी निर्धारण के नियम संस्थागत छात्रों के समान होगें ।
5. विद्यापरिषद की स्वीकृति एवं कार्यपरिषद दिनांक 26.09.1991 द्वारा अनुमन्यता के अनुसार आचार्य कक्षा के भाषाविज्ञान विषय मे व्यक्तिगत परीक्षा अनुमन्य नही है।

विचार विमर्श के अनन्तर विद्या परिषद् ने आचार्य षण्मासिकी परीक्षा प्रणाली (Semester System) सम्बन्धी निदर्शिका पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

6- केन्द्रीय हिमालयीय संस्कृति शिक्षण संस्थान दाहुंग (अरूणाचल प्रदेश) में संचालित आचार्य (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम के अध्यापन एवं परीक्षा में सेमेस्टर व्यवस्था लागू करने सम्बन्धी पाठ्यक्रम पर विचार।

विद्या परिषद् ने सर्वसम्मत्ति से केन्द्रीय हिमालयीय संस्कृति शिक्षण संस्थान दाहुंग (अरूणाचल प्रदेश) में संचालित आचार्य (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम के अध्यापन एवं परीक्षा में सेमेस्टर व्यवस्था लागू करने पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

7- स्वामी शिवेन्द्र पुरी संस्कृत महाविद्यालय, जौनपुर, वरसठी जौनपुर को बैचलर आफ एलीमेन्ट्री एजुकेशन (B.El.Ed.) पाठ्यक्रम की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार।

विद्या परिषद् के समक्ष उपर्युक्त प्रकरण पर कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी-

समिति की संस्तुति एवं प्रकरण से सम्बन्धी अन्य प्रयत्नो के संदर्भ में विचार- विमर्श करने के पश्चात् निर्णय लिया कि सम्बन्धित संस्था में (B.El.Ed.) पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति देने से पूर्व फिर से प्रकरण पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने हेतु एक समिति गठित करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाय साथ ही परिषद् ने यह भी संस्तुत किया कि महाविद्यालय को (B.El.Ed.) पाठ्यक्रम संचालन के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा जो अनापत्ति दी गयी है उसे अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया जाय और इसकी सूचना संस्था के प्रबंधन को भी दे दी जाय।

अंत में कुलसचिव ने माननीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कुलपति महोदय की अनुमति से सभा विसर्जन की घोषणा की।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि.,वाराणसी

विद्यापरिषद् की उपर्युक्त संस्तुतियों पर विचार के क्रम में कार्यपरिषद् के कतिपय माननीय सदस्यों ने विद्यापरिषद् के कार्यक्रम (एजेण्डा)-7 में की गयी संस्तुति पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि जब विश्वविद्यालय में (B.El.Ed.) पाठ्यक्रम को सम्बद्ध महाविद्यालयों में कैसे संचालित किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में प्रकरण से सम्बन्धित पक्षों पर विचार करने हेतु समिति गठन की कोई आवश्यकता नही है।

अंत में विचार-विमर्श के पश्चात् कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति में विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 22.09.2018 में की गयी अन्य संस्तुतियों पर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यक्रम सं.7 की संस्तुति को विचारार्थ पुनः विद्यापरिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

कार्यक्रम संख्या-4- वित्त समिति की बैठक दिनांक 05.12.2017 एवं दिनांक 17.07.2018 में की गयी संस्तुतियों पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष वित्त समिति की बैठक दिनांक 05.12.2017 एवं दिनांक 17.07.2018 की अधोलिखित संस्तुतियां तथा विश्वविद्यालय पुनरीक्षित आय-व्ययक वर्ष 2017-2018 एवं आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-2019 प्रस्तुत की गयी-

वित्त समिति की बैठक

दिनांक : 05.12.2017
समय : पूर्वाह्न 11.30 बजे
स्थान : कुलपति महोदय का कार्यालयीय कक्ष

उपस्थिति

(1)	प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दुबे, कुलपति	–	अध्यक्ष
(2)	प्रो• सुभाषचन्द्र तिवारी पूर्व आचार्य, सं•सं•वि•वि•, वाराणसी	–	सदस्य
(3)	श्री ए• के• द्विवेदी, वित्त अधिकारी	–	सदस्य–सचिव
(4)	श्री प्रभाष द्विवेदी, कुलसचिव	–	सदस्य
(5)	श्री राजनाथ, परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य

कार्यवृत्त

कुलपति जी द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया।

कार्यक्रम संख्या 1– वित्त समिति की विगत बैठक दि• 04.10.2017 के कार्य विवरण की सम्पुष्टि तथा कृत कार्यवाही की सूचना ।

प्रस्तुत प्रस्ताव– वित्त समिति की विगत बैठक दिनांक 04.10.2017 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है। विगत कार्यविवरण की सम्पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव।

वित्त समिति की विगत बैठक 04.10.2017 के कार्यक्रम संख्या 2 में रू• 25,30,857/– के अतिरिक्त व्यय को सम्मिलित करते हुए वार्षिक अनुरक्षण मद को उक्त सीमा तक पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था। उक्त पर समिति ने धनराशि की व्यवस्था करने के पश्चात प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने की संस्तुति की। इस कार्यक्रम संख्या में उक्त के अतिरिक्त वित्त समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में अगस्त 2017 में किये गये भुगतान क्रमशः रू• 79,207/– तथा रू• 1,99,464/– को पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव किया गया किन्तु वित्त समिति द्वारा उक्त पर निर्णय नही लिया गया। अतएव वित्त समिति द्वारा वार्षिक अनुरक्षण मद में पूर्व स्वीकृत रू• 37,02,000/– के स्थान पर उक्त संदर्भित व्यय (79207 + 199464) रू• 2,78,671/– को सम्मिलित करते हुए रू• 39,80,671/– की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।

कार्यक्रम संख्या 3 के द्वारा आडिट फीस रू• 70,00,000/– के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी थी किन्तु मद में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण 30 नवम्बर 17 तक उक्त का भुगतान नही किया जा सका है। धनराशि उपलब्ध होते ही भुगतान किया जायेगा।

निर्णय वित्त समिति की विगत बैठक दिनांक 04.10.2017 के कार्यवृत्त संख्या 2 को निम्नलिखित रूप से अनुमोदित किया जाता है – विश्वविद्यालय का वार्षिक अनुरक्षण रू• 30,00,000/– यथावत बना रहेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में किये गये पूर्व के भुगतान रू• 7,02,000/– + रू• 1,99,464/– + रू• 79,207/– को केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये अनुमोदित किया जाता है। इसके साथ दिनांक 04.10.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाती है।

कार्यक्रम संख्या 2– वार्षिक अनुरक्षण मद में निर्माण कार्यो से सम्बन्धित व्यय के लिए पूर्व से रू• 25,00,000/– प्राविधानित है। इसके अतिरिक्त रू• 7,02,000/– की वृद्धि करते हुए रू• 32,02,000/– पुनरीक्षित किया जा चुका है।

दिनांक 19.09.2017 को परिसर स्वच्छता एवं प्रकाश व्यवस्था समिति की बैठक में दिनांक 24.12.2017 को होने वाले दीक्षांत महोत्सव के अवसर पर परिसर के विभिन्न कार्यो को सम्पन्न कराने के लिए सहमति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न कराने की दृष्टि से वार्षिक अनुरक्षण मद रू• 32,02,000/– में रू• 6,00,000/– की वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तुत प्रस्ताव – परिसर स्वच्छता एवं प्रकाश व्यवस्था समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार दीक्षांत लान के साथ अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की रंगाई–पुताई, पेंटिग के लिए क्रमशः रू• 98,851/–, 82,864/– , 56,720/–, 68,403/– कुल रू• 3,06,838/– का अतिरिक्त आगणन प्रस्तुत किया गया है। उक्त व्यय के लिए वार्षिक अनुरक्षण मद में प्राविधान किया जाना है। वार्षिक अनुरक्षण मद के पूर्व स्वीकृत राशि सम्मिलित करते हुए इस प्रकार वर्ष 2017–18 के लिए निर्माण एवं सम्पत्ति के कार्यो के लिए प्राविधानित रू• 30,00,000/– पूर्व स्वीकृत रू• 7,02,000/–, कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में किया गया भुगतान रू• 2,78,671/– तथा दीक्षान्त के अवसर पर कराये जाने वाले कार्यो संभावित व्यय रू• 3,06,838/– इस प्रकार रू• 42,87,509/– के सापेक्ष कुल रू• 42,90,000/– पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव है।

वित्त समिति को यह भी अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों के वेतन एवं गैर वेतन पर व्यय के लिए मद के धनराशि उपलब्ध न होने के कारण नवम्बर 2017 तक विकास मद में रू• 4,67,00,000/– क्रीड़ा मद से रू• 1,00,00,000/– शताब्दी भवन मद से रू• 1,00,00,000/– तथा पं• दीनदयाल कौशल केन्द्र मद से रू• 2,00,00,000/– कुल रू• 8,67,00,000/– ऋण लिया गया है। परीक्षा शुल्क से आय प्राप्त होने पर उपरोक्त ऋण की वापसी का प्रयास किया जायेगा।

विकास मद में नवम्बर 2017 तक रू• 70,00,000/– इतिशेष है। दीक्षांत के कार्यो के लिए आवश्यक होने पर उक्त मद से ऋण लिये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय– प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार दीक्षांत के अवसर पर कराये जाने वाले कार्यो का संभावित व्यय रू• 3,10,000/– (तीन लाख दस हजार) मात्र इस वित्तीय वर्ष के लिए अनुमन्य किया जाता है।

कार्यक्रम संख्या 3– अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव – किसी भी शिक्षक/अधिकारी/शिक्षणेत्तर कर्मियो के आवास में सफेदी मात्र **एवं निर्णय** बजट सीमा के अन्तर्गत कराये जाने की संस्तुति की गयी।

कुलपति महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(ए• के• द्विवेदी)
वित्त अधिकारी/सदस्य सचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

वित्त समिति की बैठक

दिनांक : 17.07.2018
समय : अपराह्न 1.00 बजे
स्थान : कुलपति महोदय का कार्यालयीय कक्ष

उपस्थिति

(1)	प्रो0 राजाराम शुक्ल, कुलपति	–	अध्यक्ष
(2)	श्री के• के• तिवारी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी।	–	सदस्य
(3)	श्रीमती लक्ष्मी शुक्ला	–	सदस्य

	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, वाराणसी प्रतिनिधि विशेष सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ।		
(4)	श्री मनोज कुमार पाण्डेय, परीक्षा नियन्ता काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।	–	सदस्य
(5)	श्री ए•के• द्विवेदी, वित्त अधिकारी	–	सदस्य–सचिव
(6)	श्री राजबहादुर, कुलसचिव	–	सदस्य
(7)	प्रो• राजनाथ, परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य

कार्यवृत्त

कुलपति जी द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया।

कार्यक्रम संख्या 1– वित्त समिति की विगत बैठक दि• 20.03.2018 के कार्य विवरण की सम्पुष्टि तथा कृत कार्यवाही की सूचना ।

प्रस्तुत प्रस्ताव– वित्त समिति की विगत बैठक दिनांक 20.03.2018 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है। विगत कार्यविवरण की सम्पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव।

निर्णय वित्त समिति की विगत बैठक दिनांक 20.03.2018 के कार्य विवरण की सम्पुष्टि की गयी तथा कृत कार्यवाही से अवगत हुई।

कार्यक्रम संख्या 2– पुनरीक्षित आय–व्यय वर्ष 2017–2018 एवं आय–व्यय अनुमान वर्ष 2018–19 पारित किये जाने पर विचार। (वास्तविक आय–व्यय वर्ष 2016–17 इसमें शामिल रहेगा।)

प्रस्तुत प्रस्ताव – वित्तीय वर्ष 2016–17 का वास्तविक, 2017–18 का पुनरीक्षित तथा 2018–19 का अनुमानित आय–व्ययक पारित करने का प्रस्ताव अधोलिखित रूप में प्रस्तुत है –

वेतन मद :

प्रस्तुत आय व्ययक में वित्तीय वर्ष 2016–17 का वास्तविक, 2017–18 का पुनरीक्षित तथा 2018–19 का अनुमानित आय व्यय शामिल किया गया है। वर्ष 2016–17 में शासन से रू• 10,52,83,000/– का अनुदान प्राप्त हुआ था। विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षाशुल्क आदि से रू• 9,53,25,397/– प्राप्त हुए तथा स्ववित्त पोषित आदि निजी स्रोतो से रू• 94,18,807/– की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कुल रू• 21,00,27,204/– की प्राप्ति हुई। धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परीक्षा शुल्क के अर्न्तगत प्राप्त होने वाली विकास शुल्क एवं क्रीड़ा शुल्क की राशि को विकास मद एवं क्रीड़ा मद में स्थानांतरित नही किया जा सका। इस वर्ष के लिए रू• 21,00,27,204/– उपलब्ध रहें। इस प्राप्ति के सापेक्ष वर्ष 2016–17 में कुल व्यय रू• 31,28,11,257/– किया गया। अवशेष राशि रू• 10,27,84,053/– की प्रतिपूर्ति हेतु विश्वविद्यालय के विकास मद से एवं अन्य मदों से ऋण स्वरूप सामान्य मद में स्थानान्तरित किये गये जिसमें से मार्च 2017 में केवल रू• 5,25,01,000/– ही विकास मद को वापस किये जा सके।

वर्ष 2017–18 के लिए शासन से रू• 10,52,83,000/– का अनुदान प्राप्त होने, विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षा शुल्क आदि से रू• 11,92,92,000/– तथा निजी स्रोतो से रू• 1,88,80,000/– कुल प्राप्ति रू• 24,34,55,000/– पुनरीक्षित किया गया। उक्त प्राप्ति के सापेक्ष कुल व्यय रू• 31,44,39,398/– पुनरीक्षित किया गया। जिसमें शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मियो के वेतन पर व्यय रू• 24,18,92,531/– शामिल है। प्राप्ति के सापेक्ष अधिक व्यय रू• 7,09,84,398/– की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय के विकास मद से ऋण स्वरूप किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2018–19 के लिए शासन से रू• 10,52,83,000/– का नियमित अनुदान प्राप्त होना है, विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षा शुल्क आदि से रू• 11,97,85,000/– प्राप्त होने का अनुमान किया गया है। इसके अतिरिक्त स्ववित्त पोषित आदि निजी स्रोतो से रू• 1,88,80,000/– प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार वर्ष 2018–19 के लिए कुल रू• 24,39,48,000/– प्राप्त होने का अनुमान किया गया है।

वर्ष 2018–19 में कुल व्यय रू• 46,34,82,765/– का अनुमान किया गया है। विश्वविद्यालय में शिक्षको के लिए कुल 112 पद स्वीकृत है। जिसमें 74 पद रिक्त है। पुस्तकालय संवर्ग अधिकारियों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियो के कुल स्वीकृति 483 पदो में से 149 पद रिक्त है। सेवारत एवं रिक्त पदो के वेतनादि पर रू• 37,47,69,257/– के व्यय का अनुमान किया गया है। जो कुल व्यय रू• 46,34,82,765/– में शामिल है। **शिक्षको के रिक्त पदो को भरने के लिए विज्ञापन किया जा चुका है नियुक्ति की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2018–19 में होनी है। इस विश्वविद्यालय की सीमित आय को दृष्टिगत रखते हुए वेतनादि पर होने वाले वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति शासन स्तर से किये जाने की अपेक्षा है।**

सामान्य मद –

वर्ष 2016–17 में यात्रा व्यय पर रू• 6,49,416/– वास्तविक व्यय हुआ है। वर्ष 2017–18 के लिए रू• 3,70,758/– व्यय पुनरीक्षित किया गया है। वर्ष 2018–19 के रू• 12,50,000/– के व्यय का अनुमान किया गया है।

वर्ष 2016–17 में दूरभाष, पेट्रोल, डीजल आदि मदो पर रू• 1,97,12,877/– का वास्तविक व्यय हुआ है। वर्ष 2017–18 के लिए रू• 1,26,71,299/– व्यय पुनरीक्षित किया गया है। वर्ष 2018–19 के लिए रू• 1,84,59,500/– के व्यय का अनुमान किया गया है।

2016–17 में रिक्त पदों के सापेक्ष सेवा संविदा पर रू• 1,12,04,116/– वास्तविक भुगतान किया गया है। वर्ष 2017–2018 के लिए रू• 1,62,39,394/– पुनरीक्षित किया गया है। वर्ष 2018–19 के वेतनादि व्यय के अनुमान में सेवारत के साथ रिक्त पदों के अनुमान को भी शामिल किया गया है।

वार्षिक अनुरक्षण कार्य में रू• 30,00,000/– पूर्व से प्राविधानित है। पूर्व के वित्त समिति से स्वीकृति के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में रू• 36,26,714/– का वास्तविक भुगतान किया गया है। वर्ष 2017–18 के लिए रू• 26,04,256/– पुनरीक्षित किया गया है।

वार्षिक अनुरक्षण के लिए 2017–18 में रू• 37,02,000/– पुनरीक्षित किया गया था किन्तु धनाभाव होने के कारण स्वीकृत राशि का भुगतान नही किया जा सका। पूर्व स्वीकृति का संज्ञान लेते हुए 2018–19 के लिए रू• 37,02,000/– के व्यय का अनुमान किया गया है।

वर्ष 2016–17 में वार्षिक सम्परीक्षा शुल्क रू• 61,42,600/– का वास्तविक भुगतान किया गया है। वर्ष 2017–18 में वर्ष 2014–15 की आडिट फीस रू• 73,67,600/– तथा 2015–16 की आडिट फीस रू• 80,82,600/– की मांग की गई है। किन्तु धनाभाव के कारण क्रमशः रू• 10,00,000/– कुल रू• 20,00,000/– का भुगतान करते हुए रू• 20,00,000/– पुनरीक्षित किया गया। सम्परीक्षा शुल्क के अवशिष्ट देयक क्रमशः रू• 63,67,600/– तथा रू• 70,82,600/– के देनदारी की मांग शासन की की गयी।

परीक्षा मद –

वर्ष 2016–17 परीक्षा संचालन में कुल रू• 2,43,71,592/– का वास्तविक व्यय हुआ है, जिसमे उत्तर पुस्तिका निर्माण हेतु कागज क्रय पर रू• 22,96,622/– परीक्षा केन्द्र एवं सामानो पर रू• 89,13,992/–, परीक्षको के पारिश्रमिक पर रू• 6,60,051/– का व्यय शामिल है। विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्रो का मुद्रण विश्वविद्यालय के प्रेस के माध्यम से कराया गया जिसमें रू• 8,53,765/– व्यय हुआ।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए परीक्षा संचालन मद में रू• 2,84,93,585/– का व्यय पुनरीक्षित किया गया है। उत्तर पुस्तिका निर्माण हेतु कागज क्रय पर रू• 15,32,123/– एवं गोपनीय मुद्रण में रू• 9,10,106/– का व्यय पुनरीक्षित किया गया है। प्रश्नपत्रो का मुद्रण विश्वविद्यालय प्रेस से कराया गया है।

वर्ष 2018–19 के लिए परीक्षा संचालन में रू• 3,32,86,000/– के व्यय का अनुमान किया गया है। गोपनीय मुद्रण में 2010 के गोपनीय प्रश्न पत्रो के मुद्रण की देयता को दृष्टिगत रखते हुए रू• 40,00,000/– के व्यय का अनुमान किया गया है।

विश्वविद्यालय में आर्थिक संकट के कारण 2016 एवं 2017 वर्षीय उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन संबंधी परीक्षको का पारिश्रमिक भुगतान नही किया जा सका। 2016 में केवल 30 प्रतिशत परीक्षको को ही भुगतान किया जा सका है। रू• 90,00,000/– की देयता है।

2017 वर्षीय परीक्षा के संपूर्ण उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन के परीक्षको का भुगतान नही किया जा सका हैं जिसकी अनुमानित रू• 1,30,00,000/– होगी।

वर्ष 2016–17 में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयो के छात्रो की अनुमानित छात्र संख्या के आधार पर प्रतिफार्म मे से रू• 2/– के अनुसार रू• 1,75,000/– का व्यय छात्र कल्याण कोष के लिए प्राविधानित किया गया था। वर्ष 2016–17 में छात्र संख्या 76,623 के अनुसार रू• 1,53,246/– की उपलब्धता के बाद भी छात्रसंघ के पदाधिकारियों की मांग पर कुलपति जी की स्वीकृति के पश्चात रू• 4,95,884/– का भुगतान किया गया है। इसके अनुमोदन का प्रस्ताव है।

वर्ष 2017–18 के लिए छात्र कल्याण कोष में रू• 4,89,320/– का व्यय पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव है। इस वर्ष भी छात्र संख्या की अपेक्षा से अधिक छात्रसंघ की मांग पर कुलपति जी द्वारा भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वर्ष 2018–19 के लिए छात्र संख्या के आधार पर रू• 1,60,000/– के व्यय का अनुमान है।

निर्णय– उपरोक्त प्रस्तुत आय व्ययक के प्रस्ताव पर समिति द्वारा सहर्ष संस्तुति प्रदान की गयी ।

कार्यक्रम संख्या 3– अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव –(क) प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 08.07.2017 में 2017–18 वर्षीय कक्षाओं में परीक्षा शुल्क रू• 800/– के स्थान पर रू• 100/– की वृद्धि करते हुए रू• 900/– किये जाने के निर्णय पर विचार।

निर्णय प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 8.7.2017 के प्रस्ताव सं• (1) में लिये गये निर्णय जिसमें परीक्षा शुल्क में 100/– की वृद्धि की गई है। उक्त प्रस्ताव कार्यपरिषद के माध्यम से शासन को प्रेषित करने की संस्तुति की गई।

प्रस्तुत प्रस्ताव –(ख) सामाजिक विज्ञान विभागाध्यक्ष के द्वारा पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान पी•जी• डिप्लोमा के पाठ्यक्रम में सत्र 2018–19 से शुल्क वृद्धि किये जाने तथा प्रवेश हेतु पांच पेड सीट की स्वीकृति का प्रस्ताव किया गया है।

निर्णय उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव विद्यापरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई।

प्रस्तुत प्रस्ताव –(ग) शिक्षाशास्त्र विभागाध्यक्ष द्वारा शिक्षाचार्य प्रवेश के लिये एक यूनिट (50) की सीटों में से 25 सीटो पर पूर्व की भांति तथा शेष सीटों (25) पर स्ववित्त पोषित योजनातर्गत प्रवेश लेने का प्रस्ताव किया गया है।

निर्णय उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव विद्यापरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई।

प्रस्तुत प्रस्ताव –(घ) पुस्तकाध्यक्ष द्वारा सरस्वती भवन पुस्तकालय में ई लाइब्रेरी की व्यवस्था के संचालन के लिये अनुमानित व्यय रू• दस करोड़, लाईब्रेरी के रख रखाव पर अनुमानित व्यय रू• एक करोड़ पचास लाख , विशेष अनुदान रू• एक करोड़ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा वार्षिक अनुदान रू• 5,50,000/– को रू• 25,00,000/– किये जाने का प्रस्ताव किया गया।

निर्णय प्रस्तुत प्रस्ताव कार्यपरिषद में प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई। वार्षिक अनुदान रू• 5,50,000/– में वृद्धि के प्रस्ताव को स्थगित करने की संस्तुति की गई।

प्रस्तुत प्रस्ताव –(ड•) निर्माण विभाग द्वारा वार्षिक अनुरक्षण मद में रू• 25 लाख के स्थान पर एक करोड़ किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

निर्णय प्रस्तुत प्रस्ताव को अगली वित्त समिति में प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को औचित्य के साथ प्रस्तुत किया जाय।

प्रस्तुत प्रस्ताव –(च) परीक्षा नियंत्रक के द्वारा सन 2018–19 से आचार्य पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्ययन–अध्यापन एवं परीक्षा सेमेस्टर व्यवस्था लागू होने के कारण द्वितीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर में शुल्क निर्धारण किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

निर्णय प्रस्तुत प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि प्रथम सेमेस्टर में पूर्ण शुल्क लिया जायेगा। द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में लब्धांक शुल्क, परीक्षा शुल्क, संगणक शुल्क लिये जाने की संस्तुति की गई। तृतीय सेमेस्टर में नामांकन शुल्क के अतिरिक्त अन्य सभी शुल्क लिये जाने की संस्तुति की गई।

प्रस्तुत प्रस्ताव –(छ) छात्रसंघ के द्वारा पूर्व स्वीकृति के अन्तर्गत अवशेष धनराशि की मांग की गई है। उक्त पर विचार।

निर्णय प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि चूंकि पूर्व कुलपतिजी द्वारा स्वीकृत किया गया है। अतएवं परीक्षण कर भुगतान करने की संस्तुति की गई। भविष्य में बजट प्राविधान के अन्तर्गत ही व्यय करने की संस्तुति की गई।

कुलपति महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(ए॰ के॰ द्विवेदी)
वित्त अधिकारी/सदस्य सचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

वित्त समिति की उपर्युक्त संस्तुतियों एवं आय-व्ययक पर विचार के क्रम में परिषद् के माननीय सदस्यों ने कहा कि विश्वविद्यालय को शासन द्वारा जो अनुदान प्राप्त हो रहा है, उससे विश्वविद्यालय के समस्त खर्चो की पूर्ति नही हो पा रही है, ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय के विकास हेतु अपने संशाधन के माध्यम से कैसे आय बढ़ाया जाय और खर्च कम किया जाय इस पर विचार होना आवश्यक है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति को गठित की जाय जो यह सुझाव दे कि विश्वविद्यालय में किस **प्रकार आय बढ़ायी जा सकती है और खर्च को कम किया जा सकता है।**

उपर्युक्त पर विचार-विमर्श के अनन्तर कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय का आय **बढ़ाने एवं खर्च घटाने के संदर्भ** में विचार कर अपना सुझाव प्रस्तुत करने के लिए अधोलिखित सदस्यों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया-

1- समस्त संकायाध्यक्ष
2- वित्ताधिकारी
3- कुलसचिव
4- परीक्षा नियंत्रक - संयोजक
5- अधीक्षक -लेखा

तत्पश्चात् कार्यपरिषद् ने वित्त समिति की संस्तुति के सातत्य में पुस्तकाध्यक्ष द्वारा सरस्वती भवन पुस्तकालय में ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था के संचालन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

अंत में विचार-विमर्श के पश्चात् कार्यपरिषद् ने वित्त समिति की संस्तुति दिनांक 05.12.2017 तथा 17.07.2018 एवं पुनरीक्षित आय-व्ययक वर्ष 2017-2018 तथा प्रस्तावित आय-व्ययक 2018-2019 पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-5- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों/अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सुविधा के संदर्भ में प्राप्त शासनादेश संख्या-

270/सत्तर-1-2018-16(140)/2017, दिनांक 12 जुलाई, 2018 के द्वारा प्राप्त निर्देश के सातत्य में विश्वविद्यालय परिनियम 16.24(ए) समावेशित करने की सूचना एवं स्वीकृति।

कार्यपरिषद् के समक्ष अधोलिखित शासनादेश संख्या-270/सत्तर-1-2018-16(140)/2017, दिनांक 12 जुलाई, 2018 प्रस्तुत की गयी।

संख्या-270/सत्तर-1-2018-16(140)/2017

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 12 जुलाई, 2018

विषयः- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों/अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सुविधा।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-503/सत्तर-6/98-3(7)/97 टी0सी0 दिनांक 21 मई, 1998 द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों तथा अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भाँति निम्नांकित शर्तों के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सुविधा अनुमन्य की गयी हैः-

(1) राज्य विश्वविद्यालयों/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के जिन शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाहते हों, को तीन माह पूर्व इस आशय की नोटिस विश्वविद्यालयों के शिक्षक/कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्य परिषद् की संस्तुति से शासन को भेजी जायेगी तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में प्रबन्धतंत्र के माध्यम से संस्तुति सहित शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) को भेजी जायेगी।

(2) विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्य परिषद् तथा महाविद्यालय के सम्बन्ध में प्रबंध समिति इस आशय का प्रस्ताव पारित करके कि आवेदक शिक्षक/कर्मचारी को कथित दिनांक से सेवा निवृत्ति किये जाने में आपत्ति नहीं है, क्रमशः उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, उच्च शिक्षा को 15 दिन में प्रस्तुत करेंगे।

(3) विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा महाविद्यालय के सम्बन्ध में निदेशक, उच्च शिक्षा क्रमशः कार्य परिषद् तथा प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव पर विचार कर अंतिम निर्णय लेंगे तथा निर्णय से नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह के भीतर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु अनुज्ञा प्रदान करेंगे।

(4) विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त पदों को भरने के पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगी।

(5) यह समाधान करने के लिए कि क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने की अपेक्षा करना लोक हित में होगा या नहीं, नियुक्ति प्राधिकारी किसी सुसंगत बात पर विचार कर सकता है। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 के अधीन गठित सतर्कता अधिष्ठान की किसी रिपोर्ट पर विचार करना अपवर्जित है।

(6) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अनुमन्य किये जाने पर सुसंगत नियमों के अनुसार तथा उसके प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए सेवानिवृत्ति पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे, परन्तु पेंशन आगणन के लिए उतनी ही सेवावधि आगणित की जायेगी, जितनी नियमित अर्हकारी सेवा वास्तव में की हो।

(7) राजाज्ञा में उल्लिखित "शिक्षक" शब्द का वही अर्थ लिया जायेगा जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में परिभाषित है।

2- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-50 की उपधारा-6 में राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त शासनादेश के अनुसार आवश्यक संशोधन समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की परिनियमावली में किये जाने तथा 15 दिन के अंदर शासन को अनुपालन आख्या प्रेषित करने के निर्देश शासनादेश संख्या-19/सत्तर-1-2018-16(140)/2017 दिनांक 28 फरवरी, 2018 द्वारा निर्गत किये गये थे किन्तु उक्त निर्देशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की आख्या किसी विश्वविद्यालय द्वारा शासन को प्रेषित नहीं की गयी है।

3- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-50 की उपधारा-6 में राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों/अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सुविधा अनुमन्य किये जाने विषयक उक्त शासनादेश को समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की परिनियमावली में सम्मिलित किये जाने के आदेश माननीय राज्यपाल एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-270(1)/सत्तर-1-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल एवं कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त प्राचार्य, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(6) अपर सचिव, उत्तर प्रदेश, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, इंदिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस शासनादेश को राज्य विश्वविद्यालयों/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव

उपर्युक्त पर विचार-विमर्श के पश्चात् कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मत्ति से शासनादेश संख्या-270/सत्तर-1-2018-16(140)/2017, दिनांक 12 जुलाई, 2018 में दी गयी व्यवस्था को विश्वविद्यालय परिनियम 16.24(ए) के रूप में समावेशित करने पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-6- महाराजा डा॰ विभूति नारायण सिंह स्वर्ण पदक के संदर्भ में विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष महाराजा डा॰ अनन्त नारायण सिंह, किला, रामनगर, वाराणसी का अधोलिखित पत्र तथा उसके परिप्रेक्ष्य में पदक सम्बन्धी अध्यादेश का प्रारूप प्रस्तुत किया गया-

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

महाराजा डा. विभूति नारायण सिंह - स्वर्णपदक अध्यादेश-2018

(धारा 51(2)(घ) परिनियम -13.04)

1. यह अध्यादेश महाराजा डा॰ विभूति नारायण सिंह स्वर्णपदक अध्यादेश -2018 कहलायेगा।

2. यह वर्ष 2017-2018 वर्षीय परीक्षा से प्रवृत्त होगा।

3. यह स्वर्णपदक स्व॰ महाराजा डा॰ विभूति नारायण सिंह, पूर्व प्रति कुलाधिपति , सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के पुत्र महाराजा डा॰ अनन्त नारायण सिंह रामनगर, किला, वाराणसी के द्वारा प्रतिवर्ष दीक्षान्त समारोह के अवसर पर बनवाकर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

4. महाराजा डा॰ विभूति नारायण सिंह स्वर्ण पदक शास्त्री एवं आचार्य कक्षा में उत्तीर्ण वह छात्र जो सर्वोच्च अंक (प्रतिशत के आधार) पर प्राप्त किया हो उन्हें यह स्वर्ण पदक देय होगा।

5. पदक का नाम **''महाराजा डा. विभूति नारायण सिंह - स्वर्ण पदक''** होगा।

उपर्युक्त पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने महाराजा डा. अनन्त नारायण सिंह के प्रस्ताव पर प्रशन्नता व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से ''महाराजा डा.विभूति नारायण सिंह स्वर्ण पदक अध्यादेश-2018 पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-7- श्री सुक्खु यादव एवं स्व॰ प्रमोद कुमार द्विवेदी के अवरूद्ध वेतन वृद्धि को अवमुक्त करने की सूचना।

परिषद् को अवगत कराया गया कि श्री सुक्खू यादव एवं स्व॰ प्रमोद कुमार द्विवेदी का वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक की अवरूद्ध वेतन वृद्धि माननीय कुलपति महोदय के आदेश से अवमुक्त कर दिया गया है।

कार्यपरिषद् उक्त सूचना से अवगत हुयी तथा अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-8- शासनादेश के अनुसार अर्ह कर्मचारियों को वित्तीय स्तरोन्नयन (A.C.P.) अनुमन्य करने की सूचना।

परिषद् को अवगत कराया गया कि शासनादेश के सातत्य में 41 कर्मचारियों को सुनिश्चित प्रोनयन योजनान्तर्गत (A.C.P.) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य किया गया है।

कार्यपरिषद् उक्त सूचना से अवगत हुयी तथा अपनी स्वीकृति प्रदान की।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार

1- कुलपति महोदय ने कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि यदि कार्यपरिषद् स्वीकृति प्रदान करें तो इस वर्ष 36वें दीक्षान्त महोत्सव के अवसर पर विश्वविद्यालय परिनियम की व्यवस्था के अनुसार **विशिष्ट विद्वानों को विश्वविद्यालय द्वारा ''महामहोपाध्याय एवं वाचस्पति'' की मानद उपाधि** प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव मा॰कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जाय।

कुलपति महोदय के उपर्युक्त प्रस्ताव पर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुए विशिष्ट विद्वानों के नाम मा. कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

2- राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों को 62 वर्ष की अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के पश्चात् 02 वर्ष का सेवाविस्तार अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-3/2017/730/सत्तर-1-2017-16(56)/2016, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 के सातत्य में संशोधित परिनियम को समाहित करने पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष अधोलिखित शासनादेश संख्या-3/2017/730/सत्तर-1-2017-16(56)/2016, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 प्रस्तुत किया गया-

संख्या-3/2017/730/सत्तर-1-2017-16(56)/2016

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त कुलपति,
राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 27 सितम्बर, 2017

विषयः-विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-268/सत्तर-1-2016-16(56)/2016, दिनांक 14 जून, 2016 द्वारा राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात 02 वर्ष का सेवाविस्तार अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-1959/ सत्तर-2-2004-16(79)/99 टी0सी0 दिनांक 17 जून, 2004 के प्राविधान को शासनादेश संख्या-377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियों के परिनियम संख्या-15.24 तथा परिनियम संख्या-16.15 में निम्नांकित ''परन्तुक'' के रूप में सम्मिलित करने के आदेश निर्गत किये गये हैं :-

''परन्तु अग्रतर यह भी कि राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात 02 वर्ष का सेवाविस्तार प्रदान किया जायेगा''

2- उपर्युक्त परन्तुकों में राष्ट्रीय पुरस्कारों के अन्तर्गत पद्म पुरस्कार (पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री पुरस्कार), शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ज्ञान पीठ अवार्ड, डॉ0 बी0सी0 रॉय अवार्ड, नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन एण्ड ट्रेडिशनल नालेज अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार तथा राज्य पुरस्कार के अन्तर्गत सरस्वती सम्मान, शिक्षक श्री सम्मान, विज्ञान सम्मान पुरस्कार, विज्ञान गौरव एवं विज्ञान रत्न को सम्मिलित करते हुये उसके आधार पर 02 वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- उक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-50 की उप धारा-6 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियों के परिनियम संख्या-15.24 तथा परिनियम संख्या-16.15 में उपर्युक्त प्राविधानों को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सम्मिलित कराने की कार्यवाही इस शासनादेश के जारी होने के 15 दिन के अंदर सुनिश्चित कर ली जाय तथा कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव।

संख्या-3/2017/730(1)/सत्तर-1-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
(2) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
(3) सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(5) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(6) वित्त अधिकारी, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव।

उपर्युक्त शासनादेश पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से शासनादेश संख्या-3/2017/730/सत्तर-1-2017-16(56)/2016, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 में दिये गये निर्देश के अनुसार शासनादेश संख्या 377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010, दिनांक 3 दिसम्बर

2013 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियाँ के परिनियम संख्या-15.24 तथा परिनियम 16.15 (विश्वविद्यालय परिनियम 16.24 एवं 17.13) में निम्नांकित ''परन्तुक'' के रूप में सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की -

''परन्तु अग्रतर यह भी कि राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 62 वर्ष की अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के पश्चात् 02 वर्ष का सेवाविस्तार प्रदान किया जायेगा।''

उपर्युक्त परन्तुक में पुरस्कारों के अंतर्गत पद्म पुरस्कार (पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री पुरस्कार), शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, डा॰ बी॰सी॰राय अवार्ड, नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन एण्ड ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार तथा **राज्य पुरस्कार** के अन्तर्गत सरस्वती सम्मान, शिक्षक श्री सम्मान, विज्ञान सम्मान पुरस्कार, विज्ञान गौरव एवं विज्ञान रत्न होगा।

3- श्री सांगवेद आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, तामेश्वर नाथ देवरिया, जिला संत कबीर नगर में दिनांक 25.04.2017 को आयोजित साक्षात्कार/चयन प्रक्रिया के संदर्भ में गठित जाँच समिति की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में विचार।

परिषद् को अवगत कराया गया कि-

श्री सांगवेद आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, तामेश्वरनाथ देवरिया, जनपद-सन्तकबीर नगर में प्राचार्य एवं अध्यापकों के रिक्त पद हेतु चयन समिति का अधिवेशन दिनांक 16-04-2017, 20-04-2017 एवं 25-04-2017 को आयोजित की गयी थी। जिसमें सहायक प्रवक्ता साहित्य पद हेतु साक्षात्कार दिनांक 25-04-2017 को सम्पन्न हुआ। सहायक प्रवक्ता साहित्य पद हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा नामित विषय-विशेषज्ञों श्री मानिक चन्द्र मिश्र एवं श्री चन्द्रबदन त्रिपाठी द्वारा अपने पत्र दिनांक 16-05-2017 एवं 20-05-2017 द्वारा शिकायती पत्र प्रेषित किया गया। पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि उन दोनो विशेषज्ञों द्वारा श्री विनय कुमार मिश्र को आयोजित साक्षात्कार में सबसे योग्य पाया गया और उनकी नियुक्ति की संस्तुति हम लोगो ने किया। जिसे संज्ञान में लेते हुए कुलपति महोदय द्वारा आदेश दिया गया कि प्रकरण पर प्रबन्धक से स्पष्टीकरण माँग लिया जाय। माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के पत्रांक जी॰1752/1009/61-17 दिनांक 23-06-2017 द्वारा प्रबन्धक से स्पष्टीकरण माँगा गया कि प्रबन्ध समिति की बैठक बुलाकर श्री विनय कुमार मिश्र की नियुक्ति पर सकारात्मक निर्णय कर विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाय। जिसके जवाब में प्रबन्धक द्वारा श्री विनय कुमार मिश्र की नियुक्ति को खारिज करते हुए विश्वविद्यालय से पुनः विज्ञापन कराने की अपेक्षा की गयी। तत्पश्चात कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के विधि परामर्शी से प्रकरण पर विधिक राय प्राप्त की गयी। विधि परामर्शी द्वारा यह परामर्श दिया गया कि विज्ञापन कराकर चयन प्रक्रिया नये सिरे से करायी जाय। तत्पश्चात् माननीय कुलपति महोदय द्वारा नामित दोनो विशेषज्ञों से स्पष्टीकरण माँगा गया कि किन परिस्थितयों में आप दोनो विशेषज्ञों द्वारा चयन संस्तुति पर हस्ताक्षर नही किया गया। क्योंकि अनुमोदन हेतु प्रेषित पत्राजात के साथ संलग्न साहित्य विषय की संस्तुति पर उक्त दोनो विशेषज्ञों का हस्ताक्षर नही थे। उक्त के प्रतिउत्तर में सम्बन्धित विशेषज्ञों ने अपने पत्र दिनांक **20-03-2018** द्वारा अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि हम दोनो विशेषज्ञों द्वारा श्री विनय कुमार मिश्र को योग्यतम पाते हुए संस्तुति पत्र पर हस्ताक्षर कर अध्यक्ष को संस्तुति पत्र सौपकर वापस आ गये। मूल संस्तुति पत्र किन परिस्थितयों में विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं किया गया, हम विशेषज्ञों को ज्ञात नहीं।

तत्पश्चात् तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा विषय-विशेषज्ञों से प्राप्त आख्या को प्रामाणिक एवं तथ्यात्मक मानते हुए विश्वविद्यालय के परिनियम 11.23 में विहित प्राविधान के अन्तर्गत प्रकरण का अन्तिम विनिश्चय करते हुए श्री विनय कुमार मिश्र पुत्र श्री लालजी मिश्र को सहायक प्रवक्ता (साहित्य) पद पर नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया गया। और यह निर्देश प्रदान किया गया कि वर्तमान में अनुमोदन पत्र निर्गत करने पर रोक है, (क्योंकि माननीय कुलाधिपति महोदय राज्य भवन लखनऊ के पत्र सं॰ई॰3315/जी॰एस॰30-04-2018 द्वारा माननीय कुलपति महोदय का कार्यकाल 03 माह की अवधि या नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो विस्तारित किया गया था, जिसमें उन्हें दैनन्दिनी कार्यो के निष्पादन हेतु अधिकृत किया गया था।) अतः वर्तमान रोक समाप्त होने के पश्चात अनुमोदन पत्र निर्गत किया जाय। नियुक्ति/अनुमोदन पत्र निर्गत करने हेतु वर्तमान कुलपति महोदय के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की गयी। जिस पर वर्तमान कुलपति महोदय द्वारा एक जाँच समिति का गठित की गई। जाँच समिति ने अपनी आख्या प्रस्तुत करते हुए यह कहा कि विश्वविद्यालयीय परिनियम 11.24 के आलोक में प्रस्तुत प्रकरण (जाँच रिपोर्ट सहित) विचारार्थ-निर्णयार्थ कार्यपरिषद् को निर्दिष्ट करना विधि सम्मत होगा। क्योंकि महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं निवर्तमान कुलपति के निर्णय में मतैक्य न होने की स्थिति में कार्यपरिषद् का विनिश्चिय अन्तिम होगा। जाँच समिति की संस्तुति के सातत्य में कुलपति महोदय ने जाँच समिति की आख्या को कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्देश प्रदान किया गया है। कुलपति महोदय के आदेशानुसार कार्यपरिषद् की बैठक में प्रकरण एवं जाँच समिति की आख्या विचारार्थ प्रस्तुत है।

[signatures] 29/09/18   29/9/18 (OSD)   [signature]

जाँच समिति की संस्तुति

17/7/18   18.7.18

कुलपति जी,
सं॰सं॰ वि॰ वि॰ वाराणसी;

विषय :— सं॰ सं॰ वि॰वि॰, वाराणसी संख्या जी 3853/2018 दिनांक 13/06/2018 के अनुपालन में श्री सांगवेद आदर्श संस्कृत महावि॰ रामेश्वरनाथ देवरिया सन्त कबीर नगर के द्वारा दिनांक 25/4/2017 को आयोजित सहायक साहित्य प्रवक्ता के साक्षात्कार के सम्बन्ध में जाँच समिति की रिपोर्ट :—

(1) श्री सांगवेद आ॰ सं॰ महावि॰ रामेश्वरनाथ सन्त कबीर नगर में दिनांक 25-4-2017 को सहायकप्रवक्ता/सहायक विभागाध्यक्ष साहित्य पद के लिए आयोजित साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या छब्बीस (26) है। साक्षात्कार में अध्यक्ष सहित पाँच सदस्य हैं। जिसमें क्रमशः महावि॰ के प्रधानाचार्य पदेन सदस्य, जि॰ वि॰ नि॰ सदस्य, विश्वविद्यालय द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ श्री चन्द्रवदन त्रिपाठी व श्री मानिक चन्द्र मिश्र जी हैं।

(2.) श्री सांगवेद महावि॰ के प्रबन्धक श्री कृष्ण कुमार रुंगटा के पत्रांक SVAS/1210/2017-18 दिनांक 07-07-2017 एवं महावि॰ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें कही गयी हैं —

(i) 'कोई अभ्यर्थी उत्तम नहीं पाया गया' अतः साहित्य के इस पद को विज्ञापित किया जाए।

(ii) चयन समिति की संस्तुति के पूर्व दोनों विषय विशेषज्ञों द्वारा अभ्यर्थी श्री विनय कुमार मिश्र से मिलकर वार्ता करना चयन समिति की गोपनीयता को भंग करना है। श्री मिश्र का विद्यालय परिवार के साथ शोभनीय व्यवहार नहीं था।

(iii) अभ्यर्थियों का विवरण एवं चयन समिति के निर्णय प्रपत्र पर 'कोई अभ्यर्थी उत्तम नहीं पाया गया' की टिप्पणी पर सर्वसम्मति से सभी सदस्यों का हस्ताक्षर है। किन्तु विषयविशेषज्ञों ने संस्तुतिपत्र/कार्यवाहीपत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया।

(iv) चयनसमिति के एक माह बाद दोनों विषयविशेषज्ञों द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी के रूप में श्री विनय कुमार मिश्र का चयन हुआ इस आशय का विश्वविद्यालय को पत्र भेजा जाना नियम विपरीत है।

(v) उक्त पद का पुनः विज्ञापन किया जाए।

(3.) चयन समिति के विषय विशेषज्ञ डॉ॰ चन्द्रवदन त्रिपाठी ने कुलसचिव को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक – 16-5-2017 एवं 20-3-2018 में लिखितरूप से स्पष्ट किया है कि :—

(क) चयनसमिति के अध्यक्ष/प्रबन्धक किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए ~~दबाव~~ दबाव बना रहे थे।

(ख) चयन समिति के पश्चात् ~~सबसे~~ योग्य अभ्यर्थी श्री विनय कुमार मिश्र पाये गये, निर्णय लिखने हेतु कहे जाने पर हमने (विशेषज्ञ) ने श्री विनय कुमार मिश्र की नियुक्ति हेतु संस्तुति कर दी।

(ग) महाविद्यालय द्वारा किन परिस्थितियों में चयन समिति की मूल संस्तुति नहीं भेजी गयी यह विशेषज्ञ को ज्ञात नहीं है।

[signatures]

द्वितीय विषय विशेषज्ञ श्री मानिकचन्द्र मिश्र जी ने कुलसचिव सं. सं. विवि. को स.० अपने पत्र दिनांक 20/5/2017 एवं 20/3/2018 में स्पष्ट किया है कि:—

(घ)- योग्यतम अभ्यर्थी "श्री विनय कुमार मिश्र का चयन किया गया" किन्तु महावि. द्वारा किन परिस्थितियों में मूल संस्तुति पत्र वि.वि. को प्राप्त नहीं कराया गया यह (विशेषज्ञ) को अज्ञात है।

(4) सन्दर्भित प्रकरण में विश्वविद्यालय के विधि विशेषज्ञ श्री व्यास मिश्र ने अपने विधिक पत्र में अन्तिम रूप से लिखा है:—

"It would be appropriate to make a fresh selection on the post after following due procedure of law."

(5) प्रस्तुत प्रकरण में कुलपति जी सं. सं. वि. वि. ने दिनांक 5-4-2018 को निम्न निर्णय दिया :—

विषय विशेषज्ञों की आख्या को प्रामाणिक एवं तथ्यात्मक मानते हुए परिनियम खण्ड 11.23 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रकरण का अन्तिम विनिश्चय करते हुए श्री विनय कुमार मिश्र को सहायक प्रवक्ता (साहित्य) पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदित किया जाता है। अनुमोदन का पत्र वर्तमान रोक समाप्त होने के अनन्तर निर्गत किया जाए।

(6) सम्पूर्ण प्रकरण पर रिपोर्ट देने हेतु त्रिसदस्यीय जाँच समिति दिनांक 8/6/2017 को वि.वि. द्वारा बनायी गयी। उक्त जाँच समिति की आख्या - प्रस्तुत :—

चयन समिति के अध्यक्ष / महावि. प्रबन्धक एवं विषय विशेषज्ञों के बीच आरोप-प्रत्यारोप को ध्यान में रखते हुए चयन समिति में प्रयुक्त प्रपत्रों का अवलोकन किया जाना जाँच समिति को समुचित प्रतीत हो रहा है।

श्री सांगवेद सं. महावि. द्वारा साक्षात्कार हेतु तीन प्रकार के प्रपत्र तैयार किये गये थे।

(i) अभ्यर्थियों का विवरण एवं चयन समिति का निर्णय।
(ii) चयन समिति की कार्यवाही / संस्तुति।
(iii) अभ्यर्थियों की उपस्थिति दिनांक 25/4/2017।

महाविद्यालय द्वारा चयन समिति की प्रक्रिया निर्वाह में उक्त तीनों प्रकार के प्रपत्रों का उपयोग किया गया जिसमें प्रथम प्रपत्र में अभ्यर्थियों का विवरण / हस्ताक्षर / चयन समिति के निर्णय हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी के सम्मुख कोष्ठक बना है (जो रिक्त है) एवं अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों का प्रतिबद्ध हस्ताक्षर भी है।

द्वितीय प्रपत्र में - चयन समिति की संस्तुति / कार्यवाही के पश्चात् दोनों विषय विशेषज्ञों को छोड़कर अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों का हस्ताक्षर है।

तृतीय प्रपत्र में - अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर / विवरण / सभी सदस्यों का हस्ताक्षर है।

प्रथम प्रपत्र के सम्बन्ध में :— चयन समिति हेतु इस प्रकार के प्रपत्र को बनाने का कोई प्राविधान / परम्परा / औचित्य भी नहीं है बल्कि यह प्रपत्र चयन समिति की गोपनीयता को भंग करती है। क्योंकि प्रथम प्रपत्र में लिखित समस्त विवरण के उल्लेख हेतु तृतीय प्रपत्र है एवं उसमें आवश्यक समस्त विवरण उपलब्ध भी है।

(क) चयन समिति के निर्णय हेतु संस्तुति पत्र ही पर्याप्त है इस प्रकार प्रथम पत्र अनावश्यक है एवं इसी प्रपत्र को आधार बनाकर प्रबन्धक द्वारा पुनर्विज्ञापन हेतु निवेदन किया गया है।

(32) (3)

साथ ही प्राविधान शून्य इसी प्रपत्र में चयन समिति के अध्यक्ष महोदय के हस्तलेख में 'कोई अभ्यर्थी उत्तम नहीं है' का विषय विशेषज्ञों के चयन समिति से चले जाने के बाद लिखा गया है। इस आरोप को पुष्ट करने हेतु निम्न आधार पर्याप्त हैं :—

(क) इस प्रपत्र पर योग्यता अथवा अयोग्यता के उल्लेख का कोई प्राविधान नहीं है।

(ख) - इस प्रपत्र पर के प्रतिबद्ध निर्णय का कोष्ठक रिक्त है, वहीं पर भी योग्यता / अयोग्यता का उल्लेख होना चाहिए था। अद्यावधि भी रिक्त है उसी प्रकार 'अभ्यर्थी उत्तम नहीं है' वाला आलेख स्थल रिक्त रहा होगा।)

(ग) चयन के निर्णय / संस्तुति का लेखन किसी एक विषय विशेषज्ञ अथवा प्रधानाचार्य के द्वारा किया जाना समुचित है। किन्तु उक्त प्रपत्र पर 'कोई उत्तम नहीं है' का उल्लेख अध्यक्ष के हस्तलेख एवं उन्हीं की कलम (स्याही) से हुआ है।

(घ) यदि विषय विशेषज्ञों ने उक्त पत्र पर 'कोई अभ्यर्थी उत्तम नहीं है' से सहमत होते तो संस्तुति पत्र पर भी सम परिस्थिति होने के कारण असहमत होने अथवा हस्ताक्षर न करने का कोई तर्क एवं आधार नहीं है।

(ङ) यदि चयन के विशेषज्ञ असहमत होते तो उन्होंने भी अपने हस्तलेख में असहमति के कारणों का उल्लेख किया होता।

(च) यदि विशेषज्ञों ने भी सभी को अयोग्य करार दिया होता तो संस्तुति पत्र में भी अध्यक्ष से सहमत होने में कोई आपत्ति नहीं होती।

(7) अध्यक्ष सहित तीनों सदस्यों ने तथाकथित संस्तुति पत्र में श्री विनय कुमार मिश्र की शैक्षिक अर्हता की भी अनदेखी की है क्योंकि श्री मिश्र नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) उपाधिधारी हैं जो विज्ञापन में उल्लिखित अर्हता से भी उच्च अर्हता है। ध्यातव्य है कि अभिलेखानुसार साक्षात्कार में एकमात्र नेट उपाधिधारी अभ्यर्थी श्री मिश्र हैं। शैक्षिक अर्हता उत्तम नहीं है यह तथाकथित संस्तुति पत्र में कहना सदस्यों के दुराग्रह को प्रमाणित करता है। (यहाँ सदस्य का तात्पर्य चयन समिति के अध्यक्ष, प्रधानाचार्य, वि. वि. नि. प्रतिनिधि है)

(8) तथाकथित संस्तुति पत्र में शैक्षिक अर्हता की अनदेखी, विषय विशेषज्ञों के पत्र, एवं अध्यक्ष के हस्तलेख में 'कोई अभ्यर्थी उत्तम नहीं है' (प्राविधान शून्य प्रपत्र पर) से यह तथ्य सबल होता है कि मूल संस्तुति पत्र महाविद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस पर विषय विशेषज्ञों का हस्ताक्षर था।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि -

चयन समिति में योग्यता अथवा अयोग्यता के निर्धारण का अधिकार विषय विशेषज्ञ को ही है। अध्यक्ष चयन समिति के प्रबन्धन एवं निर्धारित नियम के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व रखता है। प्रस्तुत प्रकरण में अयोग्यता का निर्धारण अध्यक्ष के द्वारा किया गया है जो कार्य विषय विशेषज्ञ का है। इस प्रकार विषय विशेषज्ञों द्वारा अभ्यर्थी श्री विनय कुमार मिश्र की योग्यता (सर्वश्रेष्ठ) का परीक्षण विधिसम्मत है। अध्यक्ष, चयन समिति को अधिकार था कि वह चयन समिति में कोई अविधिक कार्य हो रहा है तो चयन समिति को भंग करना जिसका उपयोग अध्यक्ष द्वारा नहीं किया गया। चयन समिति के चयन को भंग करने का अधिकार अध्यक्ष को नहीं है। कुलपति जी ने भी तथ्यों के आलोक में श्री मिश्र की नियुक्ति का अनुमोदन किया है। उपर्युक्त एवं विश्वविद्यालयीय परिनियमावली 11.24 के आलोक में प्रस्तुत प्रकरण (जाँच रिपोर्ट सहित) विचारार्थ निर्णयार्थ कार्यपरिषद् को निर्दिष्ट करना विधिसम्मत होगा क्योंकि महाविद्यालय

के प्रबन्धक द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं निवर्तमान कुलपति जी के निर्णय में मतैक्य नहीं है। मतैक्य न होने की स्थिति में कार्यपरिषद् का विनिश्चय अन्तिम होगा।

1. प्रो० हरिशंकर पाण्डेय
जाँच समिति सदस्य

2. 15/7/2018
डॉ० रविशंकर पाण्डेय
जाँच समिति सदस्य

नोट – यह जाँच रिपोर्ट पृ०सं० 01 से - 05 तक है।

उपर्युक्त प्रकरण एवं उससे सम्बन्धित जाँच रिर्पोट पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मत्ति से तत्कालिन कुलपति महोदय द्वारा सम्बन्धित पत्रावली में दिनांक 05.04.2018 को दिये गये आदेश कि -

''विषय विशेषज्ञों से प्राप्त आख्या एवं प्रबन्धतन्त्र के प्रस्ताव में मतैक्य का अभाव होते हुए भी विषय विशेषज्ञों की आख्या को प्रामाणिक एवं तथ्यात्मक मानते हुए परिनियम खण्ड 11.23 में विहित प्राविधान के अन्तर्गत प्रकरण का अंतिम विनिश्चय करते हुए श्री विनय कुमार मिश्र पुत्र श्री लालजी मिश्र को सहायक प्रवक्ता (साहित्य) पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदित किया जाता है।''

पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

4- भवन समिति की बैठक दिनांक 28.09.2018 की संस्तुतियों पर विचार।

परिषद् के समक्ष भवन समिति की बैठक दिनांक 28.09.2018 में की गयी अधोलिखित संस्तुतियों को प्रस्तुत किया गया-

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

भवन समिति की बैठक दिनांक 28.09.2018

1. पिछली बैठक दिनांक 29.03.2017 की पुष्टि पर विचार।

निर्णय—पिछली बैठक दिनांक 29.03.2017 की पुष्टि की गयी।

2. रूसा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का भवन समिति से अनुमोदन के सम्बन्ध में।
   i- शोध छात्रावास भवन के प्रथम तल का निर्माण—रू0 183.06 लाख।
   ii-केन्द्रीय परीक्षा भवन/मूल्यांकन केन्द्र भवन का निर्माण—रू0 235.88 लाख।
   iii-विज्ञान भवन के द्वितीय तल पर पर्यावरण विज्ञान लैबोरेटरी का निर्माण—रू0 71.55 लाख।
   iv-बाटेनिकल गार्डेन के विकास एवं सौन्दर्यीकरण—रू0 15.17 लाख।
   v-एन.एस.एस. भवन के प्रथम तल पर कैफेटेरिया (भूतल एवं प्रथम तल पर सीढ़ी एवं टायलेट का निर्माण)—रू0 120.25 लाख।

निर्णय—समिति के सदस्यों द्वारा रूसा के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के अनुबन्ध पत्रों का अध्ययन किया गया। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० भदोही इकाई के प्रतिनिधि द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि धन प्राप्त होने के उपरान्त प्रश्नगत निर्माण कार्यों के ड्राइंग डिजाइन आदि तैयार करने हेतु परियोजना मुख्यालय संदर्भित की गयी थी। मुख्यालय से सम्बन्धित प्रपत्र प्राप्त होने पर ई—टेण्डर आमंत्रित किये गये थे। ई—टेण्डरिंग की प्रकिया पूरी हो चुकी है। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा कार्यस्थल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा कार्यस्थल उपलब्ध करा दिया गया है। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि ने एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ कराने का आश्वासन दिया।

समिति के सदस्यों द्वारा उपर्युक्त के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया कि प्रत्येक स्थिति में कार्य एक सप्ताह में आरम्भ कर दिया जाये।

3. शोध छात्रावास के नवीनीकरण कार्य हेतु प्राप्त आगणन पर विचार।
   a-उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड भदोही इकाई— रू0 223.31 लाख।
   b-यू0पी0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड सुन्दरपुर, वाराणसी— रू0 242.07 लाख।

4. पाणिनि भवन के प्रथम तल के रिक्त स्थान पर महिला कामन रूम फर्नीचर सहित का निर्माण।

a-उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड भदोही इकाई— रु0 23.24 लाख।

b-यू0पी0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड सुन्दरपुर, वाराणसी - रु0 23.75 लाख।

5. शताब्दी भवन का नवीनीकरण का कार्य हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड—34 भेलूपुर, वाराणसी द्वारा प्रस्तुत आगणन— रु0 214.37 लाख पर विचार।

6. योग साधना केन्द्र के सामने स्थित प्राचीन अतिथि गृह (मात्र श्री बी0 राम तत्कालीन लेखाधिकारी द्वारा रिक्त आवास) का नवीनीकरण का कार्य हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड—34 भेलूपुर, वाराणसी द्वारा प्रस्तुत आगणन -रु0 34.38 लाख पर विचार।

7. चतुर्थ श्रेणी आवास परिसर में मेन सीवर लाईन के कार्य हेतु यू0पी0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड सुन्दरपुर, वाराणसी द्वारा प्रस्तुत आगणन रु0 37.67 लाख पर विचार।

8. सरस्वती भवन पुस्तकालय (हस्तलिखितानुभाग) के नवीनीकरण हेतु इन्टैक द्वारा प्रस्तुत आगणन रु0 544.00 लाख पर विचार।

निर्णय—क्रमांक 3 व 4 पर अंकित प्राप्त आगणनों में से न्यूनतम आगणन को तथा क्रमांक 5 से 8 तक के आगणनों को शासन में अनुदान प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित करने की संस्तुति की गई।

कुलसचिव
सं0सं0वि0वि0,वाराणसी

पत्रांक लो0शे0 1196/18 दिनांक 29-9-2018
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
3. समस्त सम्मानित सदस्य गण।
4. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव
सं0सं0वि0वि0,वाराणसी

कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मत्ति से भवन समिति की बैठक दिनांक 28.09.2018 में की गयी संस्तुतियों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

5- विश्वविद्यालय परिसर में नई बोरिंग करने हेतु स्थान चिन्हित करने के संदर्भ में।

कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में नई बोरिंग कराने हेतु स्थल चिन्हित करने के लिए गठित समिति की संस्तुति पर बोरिंग हेतु **विज्ञान भवन के पूर्वी छोर के रिक्त स्थान** (नवीन पानी टंकी के पास) को चिन्हित किया गया है।

कार्यपरिषद् उक्त सूचना से अवगत हुयी और अपनी स्वीकृति प्रदान की।

6- विश्वविद्यालय कर्मियों को वेतन भुगतान के संदर्भ में विचार

परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में धनाभाव के कारण विश्वविद्यालय कर्मियों को सितम्बर देय अक्टूबर का वेतन नही भुगतान हो पा रहा है, आगे विश्वविद्यालय में नवरात्र का अवकाश भी दिनांक 10.10.2018 से हो जाएगा। शासन ने अनुरक्षण अनुदान में जो वृद्धि की है, वह भी अभी विश्वविद्यालय को प्राप्त नही हुआ है, विश्वविद्यालय के अधिकारी गण अनुदान प्राप्त कराये जाने के सम्बन्ध में शासन से लगातार सम्पर्क में है।

वेतन भुगतान न होने के कारण विश्वविद्यालय कर्मी परेशान है, ऐसी स्थिति में कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि विश्वविद्यालय के यू॰जी॰सी॰ मद में संचित धन को ऋण के रूप में लेकर कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जाय और शासन से अनुदान प्राप्त होने पर ऋण को वापस कर दिया जाय।

यू॰जी॰सी॰ मद से ऋण लेने के संदर्भ में वित्ताधिकारी ने परिषद् को अवगत कराया कि किसी अन्य मद से ऋण लेकर वेतन भुगतान करना वित्तीय अनियमितता है, इस पर शासन द्वारा भी आपत्ति प्रकट की गयी है, ऐसी स्थिति में ऋण लेकर वेतन भुगतान न किया जाय।

उपर्युक्त परिस्थितियों पर गम्भीरता पूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि शासन से अनुदान प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय के वित्ताधिकारी अपने स्तर से प्रयास करें और दिनांक 15.10.2018 तक शासन से अनुदान न प्राप्त होने की स्थिति में विशेष परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए यू.जी.सी. मद से ऋण लेकर विश्वविद्यालय कर्मियों को वेतन भुगतान कर दिया जाय और इसकी सूचना शासन को भी दे दी जाय।

7- अध्यक्ष की अनुमति से कुलसचिव के प्रस्ताव पर कार्यपरिषद् ने नियुक्ति-अनुमोदन सम्बन्धित आवश्यक बिन्दु तथा प्रबन्धतन्त्र की मान्यता/अनुमोदन हेतु आवश्यक बिन्दु जिस पर प्रबंधक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण के आधार पर संक्षिप्त आख्या कार्यालय द्वारा प्रस्तुत होना है, के निर्धारित अधोलिखित प्रारूप पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

क्र॰ सं॰	प्रबन्धतन्त्र की मान्यता/अनुमोदन हेतु आवश्यक बिन्दु	प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण के आधार पर संक्षिप्त आख्या
1.	संस्था का नवीनीकरण, पत्रांक एवं तिथि सहित	
2.	संस्था का वाईलाज	
3.	रजिस्ट्रार चिट्स फण्ड द्वारा प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों/सदस्यों की प्रमाणित सूची (वर्तमान) पत्रांक एवं तिथि सहित	
4.	साधारण सभा के सदस्यों की सूची	
5.	निवर्तमान (सदस्यों/पदाधिकारियों की सूची)	
6.	शपथ पत्र-एक 8 बिन्दु का एवं परिनियम 12.07 के अनुसार।	
7.	प्रबन्धतंत्र द्वारा चुनाव हेतु दी गयी सूचना	
8.	प्रबन्धतंत्र गठन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही	
9.	चयनित पदाधिकारियों एवं सदस्यों का पहचान पत्र।	
10.	प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों/सदस्यों की बल्दियत सूची (नाम, पितानाम,पद,पता,फोटो एवं दूरभाष नं॰ (आधार की प्रमाणित प्रति)	
11.	मान्यता हेतु 2500/- (दो हजार पाँच सौ मात्र) की शुल्क रसीद की छायाप्रति।	
12.	प्रबन्धतंत्र के चुनाव के दौरान फोटोग्राफ की प्रति	
13.	विगत 05 वर्षों का प्रमाणित परीक्षाफलों की स्थिति	

अतः प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाणों के आधार पर बिन्दु संख्या-1 से बिन्दु सख्या-13 तक पर कार्यालय द्वारा दिये गये आख्या/शपथ पत्र संख्या .... के आलोक में प्रबन्धतंत्र के अनुमोदन की संस्तुति की जा सकती है। यदि भविष्य में कोई प्रमाण संदिग्ध अथवा गलत पाया जाता है तो यह अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा इसके लिए प्रबन्धक स्वयं जिम्मेदार होगा।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

क्र. सं.	नियुक्ति-अनुमोदन सम्बन्धित आवश्यक बिन्दु	प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण के आधार पर संक्षिप्त आख्या
1.	संस्था का नवीनीकरण, पत्रांक एवं तिथि सहित	
2.	संस्था का प्रबन्धतंत्र मान्यता की प्रति	
3.(अ)	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा रिक्त पद की पुष्टि पत्रांक एवं विषय सहित	
(ब)	विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान किये गये विषयों का नाम	
(स)	क्रमांक 3(अ) एवं क्रमांक 3(ब) में विषयों का उल्लेख में समानता है अथवा नहीं स्पष्ट संस्तुति	
4.	विज्ञापन की मूल प्रति 2 समाचार पत्रों में जिसका परिचालन राज्य स्तरीय हो (नाम व तिथि सहित)	
5.	नामित विशेषज्ञों की छायाप्रति (जो माननीय कुलपति जी द्वारा नामित हो) नाम एवं विश्वविद्यालय पत्रांक सहित	
6.	नामित विशेषज्ञों की स्वीकृति पत्र तिथि सहित	
7.	अभ्यर्थियों को प्रेषित पत्र की छायाप्रति	
8.	अभ्यर्थियों का योग्यता विवरण।	
9.	चयन समिति की मूल संस्तुति, जिसपर विषय-विशेषज्ञों द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी हो	
10.	प्रबन्धतंत्र का प्रस्ताव	
11.	शपथ-पत्र (अधिनियम की धारा-20 के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में सगा-सम्बन्धि न होने के सम्बन्ध में।	
12.	चयन समिति की बैठक का फोटोग्राफ	
13.	विगत 05 वर्षों की प्रमाणित परीक्षाफलों की स्थिति	
14.	चयनित अभ्यर्थी के आधार कार्ड की प्रति	

अतः प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाणों के आधार पर बिन्दु संख्या-1 से बिन्दु सख्या-14 तक दिये गये आख्या/शपथ पत्र संख्या .... दिनांक .... के दृष्टिगत सम्बन्धित विषय .... में श्री .... की अनुमोदन की संस्तुति की जा सकती है। यदि भविष्य में कोई प्रमाण संदिग्ध अथवा गलत पाया जाता है तो यह अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा इसके लिए प्रबन्धक/प्राचार्य/अध्यापक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अंत में कुलसचिव ने माननीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कुलपति महोदय की अनुमति से सभा विसर्जन की घोषणा की।

कुलसचिव जी / मा-कुलपति जी

कृपया अनुमोदनार्थ

10.11.18

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि.,वाराणसी